बुधवार,
१९ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

	पृष्ठ भाग
बुधवार, १२ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३९९–३४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३४४६–३४७०
बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७१–३५१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३५१७–३५४२
शुक्रवार, १४ मई, १९५४	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३५४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१	३५४३–३५९२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३	३५९२–३५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६	३५९७–३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२	३६०१–३६१०
बुधवार, १९ मई, १९५४	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३६११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४	३६११–३६१४
शुक्रवार, २१ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७	३६१५–३६२४

लोक सभा

बुधवार, १९ मई, १९५४

लोक सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपत ग्रहण

श्री अशोक मेहता (भंडारा)

श्री बोरकर (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

भारतीय नाविकों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर

अ० सू० प्र० सं० १४. **श्री एस० एन० दास:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की नाविकों का काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित करने की योजना प्रवर्त्तित हो गई है और उसमें भरती का काम आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई बन्दरगाह में नाविकों की भरती के प्रश्न के सम्बन्ध में कार्य करने के निमित्त हाल

ही में एक द्विपक्षीय निकाय बनाया गया है जिसमें कुछ जहाज मालिक संगठन तथा नाविक संगठन हैं; तथा

(ग) क्या इसका सरकार की योजना पर प्रभाव पड़ा है और यदि ऐसा है तो किस प्रकार से ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) नाविकों के काम दिलाऊ दफ्तर बम्बई, से सम्बन्धित संविहित नियम तो पहिले ही शासकीय गजट में निकाल दिये गये हैं और ७ जून, १९५४ से लागू होंगे।

कलकत्ता में भी उसी प्रकार का दफ्तर स्थापित करने के लिये आरम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) सरकार को पता नहीं।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एस० एन० दास: रिपोर्ट में बताये गये इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस दफ्तर में पहिली अप्रैल, १९५४ से कार्य आरम्भ हो जाना था, तो इसमें देर लगने के क्या कारण थे ?

श्री अलगेशन: प्रारूप नियम बनाये गये थे और वे सम्बद्ध संगठन की सूचनार्थ परिचालित किये गये थे और उसके विचार प्राप्त हो जाने के बाद इन नियमों को अन्तिम रूप से तय किया गया था। जैसा

कि मैंने अपने उत्तर में बताया, यह कार्यालय ७ जून से अपना कार्य आरम्भ करेगा

श्री एस० एन० दास : क्या गत वर्ष कभी नाविक संघ तथा जहाज मालिक संगठन ने सरकार की योजना मान ली थी जब कि सरकार ने अपनी योजना घोषित की थी ?

श्री अलगेशन: उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया है । हमें यह आशा है कि जब एक बार योजना चल जायगी हमें उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और हम एक त्रि-दलीय मंत्रणा बोर्ड बनायेंगे जिसमें सरकार, नाविक तथा जहाज मालिकों का समान प्रतिनिधित्व होगा । वे इस योजना के वास्तविक कार्य सम्पादन तथा प्रक्रिया के मामले में मिल कर काम करेंगे ।

श्री एस० एन० दास: क्या भारतीय जहाज मालिकों तथा विदेशी जहाज मालिकों के दृष्टिकोणों में कोई यथार्थ भेद है और यदि ऐसा है तो किस बात पर मतभेद है ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करता हूं कि विदेशी जहाज मालिक इस योजना को अच्छा नहीं समझते, किन्तु जैसा कि मैंने कहा, हमें आशा है कि इसके एक बार चल जाने के बाद वे हमारे साथ सहयोग करेंगे ।

श्री एस० एन० दास: क्या सरकार योजना की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ?

श्री अलगेशन: यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय प्रारूप-नियमों से है, तो उन्हें पहिले ही गजट में निकाल दिया गया है ।

श्री पी० सी० बोस: क्या कुछ श्रमिक प्रतिनिधियों तथा कुछ जहाज मालिकों ने इस योजना पर आपत्ति की है और यदि ऐसा है, तो उनकी आपत्ति का वास्तविक कारण क्या था ?

श्री अलगेशन : हमें वे कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताये गये थे । सम्भवत: उन्होंने यह समझा कि यदि यह योजना कार्यान्वित कर दी गई तो इस समय उन्हें जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे नहीं रहेंगे । मैं उन कारणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं; मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं ।

श्री जोकीम आल्वा: क्या सरकार ने उन सरहंगों के कार्यों की ओर ध्यान दिया है जो कि अंग्रेज जहाज मालिकों तथा असहाय और असंगठित नाविकों के बीच कुचक्र पूर्ण कार्य कर रहे हैं ?

श्री अलगेशन : वास्तव में, ये सरहंग नाविकों को अपने यहां भरती करने के लिये उकसाते रहे हैं । स्वाभाविकत:, उन्होंने समझा कि इससे उनके व्यापार में रुकावट पड़ेगी ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि नाविक तथा जहाज मालिक सरकार की इस योजना के बहुत विरुद्ध हैं ।

श्री अलगेशन: मैं समझता हूं कि मैंने इसका उत्तर दे दिया है ।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
१९ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

लोक-सभा

बुधवार, १९ मई, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२ (भाग १)

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२ (भाग १) की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिए संख्या एस–१७८/५४]**

"१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज़ के विनियोग लेखा, १ भाग और २ आदि।"

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन इन दस्तावेज़ों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :

(१) १९५१–५२ के भारतीय रेलवेज़ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एस–१७९/५४]**

(२) १९५१–५२ के भारतीय रेलवेज़ के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एस–१८०/५४]**

(३) १९५१–५२ के भारतीय सरकारी रेलवेज़ के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी विवरण भी सम्मिलित हैं, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आय-व्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एस–१८१/५४]**

(४) १९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आय-व्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एस—१८२/५४]**

(५) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़ १९५३। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एस–१८३/५४]**

सामुदायिक परियोजनाओं संबंधी मूल्यांकन प्रतिवेदन

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नंदा) : मैं सामुदायिक परियोजनाओं के प्रथम वर्ष के कार्य संचालन सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–१८४/५४]**

चलचित्र जांच समिति की सिपारशें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं चलचित्र जांच समिति की सिपारिशों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और उसके सम्बन्ध में किये गये निश्चयों सम्बन्धी विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–१८५/५४]**

अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं कुछ अग्रेतर विवरणों की, जिनमें १९५४–५५ की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा दिये गय कुछ ज्ञापनों के उत्तर हैं एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या १८६/५४]**

विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों संबंधी याचिकायें

सचिव: मुझे यह सूचित करना है कि विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों के सम्बन्ध में चार याचिकायें प्राप्त हुई हैं इनका विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकायें

	हस्ताक्षर कर्ताओं की संख्या	जिला या नगर	राज्य	याचिकाओं की संख्या
(१)	१	आगरा	उत्तर प्रदेश।	२६
(२)	१	भावनगर	सौराष्ट्र	२७
(३)	९०	जालंधर	पंजाब	२८
(४)	१	भरतपुर	राजस्थान	२९

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक

सरदार ए० एस० सहगल: (बिलासपुर): मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उड़ीसा में १½ लाख टन चावल फालतू घोषित किया गया है। वहां की राज्य सरकार के पास केवल ४५,००० टन की भाण्डार व्यवस्था है। बाक़ी चावल खुले में पड़ा हुआ है। यह अधिक स्टाक दो कारणों से जमा हो गया है। पहला कारण तो यह है कि माल डिब्बों का अभाव है, और दूसरी बात यह है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार अभी तक चावल को ले नहीं गई है, क्योंकि उसके पास भी आवश्यकता से अधिक चावल पड़ा हुआ है। उड़ीसा सरकार ने उक्त फालतू चावल की कोई व्यवस्था करने और उसको खराब न होने देने का अनुरोध किया है। मालूम हुआ है कि खाद्य तथा कृषि मत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस चावल को हटाने के लिये

शीघ्र ही कुछ प्रबन्ध किया जायेगा । परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और उस चावल के खराब हो जाने का भय है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री किदवई, की ओर से मैं वक्तव्य देता हूं ।

अभी तक उड़ीसा सरकार ने १९५४ के लिये लगभग २६०,००० टन चावल का आधिक्य घोषित किया है, और यह सारी मात्रा आंशिक रूप से केन्द्रीय रक्षित भण्डार को और अंशतः कमी वाले राज्यों को बांट दी गई है । इसमें से लगभग १२३,००० टन बाहर भेजा जा चका है, और शेष १३७,००० टन बचा है ।

यह बात ठीक है कि एकाएकी पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने अभ्यंश का एक भाग छोड़ दिया है और कुछ हद तक इसकी वजह से उड़ीसा से चावल की निकासी में विलम्ब हुआ है । उड़ीसा में आजकल जो चावल इकट्ठा हो गया है, उसके दो और कारण भी हैं । एक तो यह है कि इस वर्ष वहां चावल बहुत अधिक पैदा हुआ है और दूसरी बात यह है कि इस वर्ष के प्रारम्भिक भाग में चावल की वसूली बहुत तेजी से की गई है । पहली जनवरी से १८ मार्च, १९५४ की अवधि में उड़ीसा ने लगभग १८०,००० टन चावल वसूल किया है, जब कि १९५३ में १३८,००० टन और १९५२ में केवल ६८,००० टन वसूल किया गया था । इस कारण वहां चावल बहुत इकट्ठा हो गया है । ऐसी स्थिति को देखते हुये हम धान की काफी मात्रा केन्द्रीय रक्षित स्टाक के लिये लेने को तैयार हो गये हैं ।

मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन को भी चावल, उनके विद्यमान अभ्यंश के अनुसार, भेजा जा रहा है । रेलवे उड़ीसा सरकार को उसकी आवश्यकतानुसार माल डिब्बे दे रही है ।

कलकत्ता और हैदराबाद स्थित केन्द्रीय रक्षित डिपो में भी चावल भेजा जा रहा है ।

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन इस प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करेगा कि कॉफी विक्रय विस्तार अधिनियम, १९४२, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

परन्तु मैं देखता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों में मतभेद है । कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि पहले विशेष विवाह विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाये और उसके बाद कॉफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में विचार हो । इसके विपरीत कुछ अन्य माननीय सदस्यों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिये और इसी संशोधन विधेयक पर पहले विचार आरम्भ हो ।

मैं समझता हूं कि चूंकि अभी माननीय वित्त मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं, अतः विशेष विवाह विधेयक पर विचार आरम्भ करना सम्भव नहीं है । ऐसी परिस्थिति में अभी हम कॉफी विक्रय (संशोधन) विधेयक पर ही विचार आरम्भ करेंगे, और फिर अभी तो केवल इसको प्रवर समिति को सौंपने के एक प्रस्ताव पर ही विचार करना है । इसके बाद हम विशेष विवाह विधेयक को लेंगे ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कॉफी विक्रय अधिनियम, १९४२, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को श्री आर० वेंकटारमन्, श्री सी० आर० नरसिंहम्, श्री बीरेन्द्रनाथ कथम, श्री लैसराम जोगेश्वर सिंह, श्री वैंकटराव पीराजीराव पंवार, श्री चन्द्र शंकर भट्ट, श्री अमर सिंह साबजी डामर, श्री गोस्वामी राज सहदेव भारती, श्री वासुदेव श्रीधर किरोलिकर, श्री राघवेन्द्र राव, श्री निवासराव, श्री एच० सिद्धनंजप्पा, श्री एन० राचय्या, श्री के० शक्तिवाडिवेल गौंडर, श्री जार्ज टामस कौत्तुकपल्ली, श्री एन० सोमना, श्री हेमराज, श्री पी० सी० बोस, श्री नयनतारा दास, श्री भागवत झा आज़ाद, डा० सत्यनारायण सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री बैजनाथ कुरील, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्रीमती गंगा देवी, सेठ अचल सिंह, श्री हर प्रसाद सिंह, श्री बादशाह गुप्त, श्री के० जी० वोडयार, श्री आर० एन० सिंह, श्री के०ए० दामोदर मेनन, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री एम० डी० रामस्वामी, डा० डी० रामचन्द्र, श्री वाई० गाडीलिंगन गौड, डा० इन्दुभाई बी० अमीन, श्री डी० पी० करमरकर तथा श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

यह विधेयक किसी न किसी रूप में सदन के सामने लगभग १८ महीनों से है, और मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह विधेयक संशोधित किये जाने वाले अधिनियम में क्या परिवर्तन करता है। मोटे तौर पर परिवर्तन ये हैं, बोर्ड का पुनर्गठन ताकि उत्पादकों, मज़दूरों और व्यापार के साथ उपभोक्ताओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सके, सरकार द्वारा एक सभापति की नियुक्ति—और विचार यह है कि सभापति एक पूर्णकालिक अधिकारी हो, बोर्ड के लिये आजकल जो उपकर या शुल्क लगाया जाता है, उसे एक रुपये से बढ़ाकर छै रुपये करने की व्यवस्था करना ताकि बोर्ड कॉफी उद्योग के विकास का काम आरम्भ कर सके; अधिकारियों के वेतनों आदि को उपबन्धित करना, और कुछ ऐसे परिवर्तन भी करना जिनको करना संविधान के अनुसार आवश्यक हो गया है, अर्थात्, यह घोषणा करना कि यह उद्योग राष्ट्रीय महत्व का है। चूंकि यह घोषणा संसद् द्वारा अधिनियमित नहीं की गई है, इसलिये नये संविधान के लागू होने के बाद से की गई कार्यवाही को नियमित करने का एक खण्ड भी हमने जोड़ दिया है मोटे तौर पर हम यही परिवर्तन करना चाहते हैं।

मैं इन परिवर्तनों का कारण भी बताना चाहूंगा और इसके लिये मुझे इस विधान का इतिहास बताना आवश्यक है।

१९४० में, जब नौवहन के अभाव के कारण निर्यात न्यूनाधिक प्रतिबन्धित था, तो कॉफी उद्योग की स्थिति बहुत ख़राब थी। तब सरकार को सभी उत्पादकों की एक कॉफी बोर्ड के अधीन लाने के लिये एक अध्यादेश अधिनियमित करना पड़ा था। बाद में १९४२ में एक नियमित अधिनियम

बनाया गया था, जिसमें लगभग वही प्रबन्ध जारी रखे गये थे जो कि उक्त अध्यादेश में थे। जब १९४६ में १९४२ के अधिनियम के उपबन्धों के कारण, बोर्ड का जीवनकाल समाप्त हो गया, तो उस बोर्ड के जीवन काल को जारी रखने के लिये एक संशोधन पारित किया गया। समय रहे कि यह बोर्ड मुख्य रूप से देश में कॉफी के विक्रय में वृद्धि करने के लिये बनाया गया था और इसीलिये उसे सारी शक्तियां दी गई थीं, ताकि वह उद्योग एक स्थिर आधार पर खड़ा हो सके क्योंकि युद्धकालीन विधानों से यह स्पष्ट पता चल गया था कि निर्यात पर निर्भरता इस उद्योग की स्थिति को बहुत अस्थिर कर देगी। बाद में जब निर्यात करने की अनमति दी गई थी, उस समय विश्वव्यापी मूल्य इतने कम थे कि भारतीय उपभोक्ता को निर्यात के सम्बन्ध में १५ रुपये प्रति हण्डरवेट की आर्थिक सहायता देनी पड़ी थी। दूसरे शब्दों में भारतीय उपभोक्ता के ऊपर १५ रुपये प्रति हण्डरवेट का अतिरिक्त भार आ पड़ा था।

सरकारी अधिकारी के द्वारा तीन अवसरों पर लागत का हिसाब लगाये जाने के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा भाव निश्चित कर दिये गये हैं। इनमें दो अवसर मुझ से पूर्व के थे और अन्तिम गत वर्ष था। परन्तु मूल्यों के जो अन्तर उत्पादक को देने पड़ते हैं, वे स्वयं बोर्ड द्वारा दिये गये थे, और मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। १९४८ से पूर्व एक समय बागान 'क' के सम्बन्ध में उत्पादक को दिया जाने वाला मूल्य लगभग ९० रुपये प्रति हण्डरवेट था। ९० रुपये से बढ़कर वह क्रमशः १२० रुपये, १३५ रुपये और फिर १८० रुपये हो गया। यह सब कुछ १९४८ और १९५२ के बीच हुआ था। ये परिवर्तन लागत लेखे सम्बन्धी किसी हिसाब किताब के कारण नहीं बल्कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार किये गये थे। मैं इस चीज़ का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये कर रहा हूं कि एक ऐसा बोर्ड जिसमें १४ उत्पादक हैं, और उपभोक्ता का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी स्थिति में था कि वह बिना उपभोक्ता से राय लिये उसके लिये मूल्यों में वृद्धि कर सकता था। उनके इस प्रकार के निर्णय को केवल सरकार ही बदल सकती है। इस सम्बन्ध में और अधिक बाद में कहूंगा।

छोटे बागानों के दृष्टिकोण से उद्योग की स्थिति दृढ़ नहीं है। कॉफी बागान की कुल पंजीबद्ध भूमि २८१,२५० एकड़ है। वस्तुतः यह क्षेत्रफल २३५,३७४ एकड़ ही है। इनमें से ५९० बागान १०० एकड़ से ऊपर के हैं, और उनके अधीन कुल भूमि १५७,००० एकड़ है। शेष ८५,००० एकड़ भूमि छोटे बागान के लिये बच रहती है। वस्तुतः औसत का कोई महत्व नहीं है, परन्तु सौ एकड़ से अधिक वाले इन बागानों का औसत निकालना ही पड़ता है, यह औसत २६८ आता है। इसका यह अर्थ हुआ कि ऐसे बागान भी अवश्य होंगे जो कदाचित ,कई सौ एकड़ के हों।

जहां तक अधिक छोटे बागानों का सम्बन्ध है, २७,८०० संस्थायें ऐसी हैं, जिन का आकार दस एकड़ से कम है और इन छोटे बागानों का कुल क्षेत्र ४९,००० एकड़ है। यहां तक कि औसत दो एकड़ से भी कम है। इस से यह प्रकट होता है कि वहां तक एकड़ से कुछ अधिक और दस एकड़ तक के कॉफी बागान हैं। उन सब की संख्या २७,८०० है। इसलिये यह बात सदन को अवश्य मालूम होनी चाहिये कि उत्पादकों के हितों का विचार करते हुये भी, हितों में अन्तर होता है। शुद्ध बागानों सम्बन्धी हित, जिस में सौ एकड़ से अधिक भूमि है—

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

और वहां लगभग ऐसे ५९० हैं—ऐसा मुख्य हित होता है जो कॉफी बोर्ड के कार्य के स्वरूप का निर्धारण करता है । छोटा उत्पादक, जिन के सम्बन्ध में कई बार माननीय सदस्य इस सदन में बोलते हैं, बहुत कम एकड़ों के हैं और उनमें बहुत कम उत्पादन होता है । वास्तव में, उत्पादन के मामले में भी कुछ ऐसे बागान हैं जो प्रति एकड़ १½ हण्डरवेट उत्पादन करते हैं, तथा कुछ ऐसे बागान भी हैं, जो प्रति एकड़ आठ हण्डरवेट से अधिक उत्पादन करते हैं । इसलिये यह ऐसा उद्योग है, जिसमें कई श्रेणियां हैं, और कमज़ोर श्रेणियों को संरक्षण मिलना चाहिये । सदन के सामने उपकर को एक रुपये से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव रखने का एक कारण यह है कि छोटे बागानों की सहायता की जा सके, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उपकर सीधा ६ रुपये कर दिया जाये ।

अब भी हमारे पास छोटे बगानों के विकास के सम्बन्ध में खोज करने की योजना है और इस मामले पर विचार करने के लिये हमने निपुण व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त कर ली हैं । मैं समझता हूं कि यह एक दृष्टि से यह संकेत करता है कि सरकार द्वारा अधिक हित दिखाये जाने और बोर्ड के लिये अधिक शक्तियों की व्यवस्था करने तथा अधिक छोटे बागानों के विकास को अधिक केन्द्रीभूत करने पर ज़ोर देने के कारण है ।

कॉफी का उत्पादन एक जैसा नहीं रहा है । इसमें अन्तर होता रहा है । १९४१-४२ से इस वर्ष तक, उत्पादन लगभग १५,००० टन और २७,००० टन के बीच रहता आया है । मुझे बताया गया है कि अंक शास्त्री इसमें छः वर्ष का एक चक्र देखते हैं जिसमें अन्तर होता रहता है और पुनः यह मूल आंकड़े पर वापिस आ जाता है । मुझे यह भी बताया गया है कि छः वर्ष के दूसरे चक्र के कुल उत्पादन में निश्चय ही वृद्धि हुई है । १९४६-४७ में न्यूनतम उत्पादन १५,३५० टन था । इसके पश्चात्, लगातार वृद्धि होती गई और १९५२-५३ के २३,५०० टन के अस्थायी अनुमान के स्थान पर इस वर्ष २७,००० टन उत्पादन हुआ है । इस वर्ष बहुत वृद्धि हुई है और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वृद्धि अच्छे गुण प्रकार की कॉफी की हुई है । सामान्यतया, कुल उत्पादन का दो बटा पांच से एक तिहाई भाग रोबस्टा कॉफी होती थी जो कि सब से घटिया गुण प्रकार की होती है, किन्तु इस वर्ष रोबस्टा फसल हल्की रही और अच्छे गुण प्रकार की कॉफी का उत्पादन अधिक हुआ है, और एक दृष्टि से यह खुशहाली का वर्ष है । किन्तु, उत्पादन की इन विभिन्नताओं के विपरीत, हमारा उपभोग न्यूनाधिक एक जैसा रहा है, केवल पिछले वर्ष कुछ अन्तर था । देश के आन्तरिक उपभोग के लिये दी गई मात्रा, सत्रह से अठारह हज़ार टन के बीच है । १९४८ में यह १६,७०८ टन, १९४९ में १७,५५६ टन, १९५० में १७,२५८ टन और १९५१ में १८,३८३ टन थी । १९५२ में यह मात्रा कम हो गयी और १७,९१९ टन रह गई, १९५३ में आयोग १५,०६७ टन था । मैं चाहता हूं कि सदन इस बात की ओर ध्यान दे कि १९४८ से १९५१ तक देश में आयोग लगातार बढ़ रहा था—निस्सन्देह खोले गये कहवा घरों, तथा उनके द्वारा किये गये प्रचार के कारण बोर्ड द्वारा किये गये कार्य के परिणामस्वरूप—परन्तु १९५२ में उपयोग कम हो गया और १९५३ में और अधिक कमी हो गई । यही मेरे आज के भाषण का मुख्य विषय है । १९५२ के मध्य में मूल्यों के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण खपत

में कमी हुई थी । बागान (क) को लीजिये, मैं ने कहा कि बोर्ड द्वारा १८० रुपये प्रति हंडरवेट का मूल्य निश्चित किया था । मैं सदन को इस का स्मरण दिलाता हूं कि बोर्ड द्वारा निश्चित मूल्य केवल निम्नतम मूल्य है अधिकतम मूल्य नहीं है । मूल्य निस्सन्देह उत्पादक के लिये संरक्षण है क्योंकि वह मूल्य ऐसा है जिस पर वस्तुयें नीलामी में बेची जाती हैं । यदि उस मूल्य पर कोई बोली देने वाले नहीं होते हैं, अर्थात् १८० रुपये तथा उपकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा बोर्ड के कार्यकरण का खर्च, जो सब मिला कर लगभग ३२ रुपये होता है, या दूसरे शब्दों में, बागान के लिये (क) यदि मूल्य २१२ रुपये प्रति हण्डरवेट से कम दिया जाता है तो स्टाक वापिस ले लिया जाता था । पर यदि ऊंचे मूल्य मिलते थे, तो यह रकम संघ-कोष में चली जाती थी और धन उत्पादकों में बांट दिया जाता था । मैं बागान (क) को उदाहरण के रूप में लूंगा और कहूंगा कि उत्पादक ने इन सब वर्षों में उस आधार पर क्या प्राप्त किया :

वर्ष	बोने वाले के लिये न्यूनतम प्रत्याभूत	बोने वाले ने वास्तव में जो प्राप्त किया
	प्रति हंडरवेट रुपये	प्रति हंडरवेट रुपये
१९४७-४८	१२०—०—०	१५४—६—०
१९४८-४९	१३५—०—०	१५०—०—०
१९४९-५०	१३५—०—०	१८४—०—०
१९५०-५१	१५५—०—०	१८०—१३—४
१९५१-५२	१८०—०—०	२२०—०—०

अतः लगभग ३५ से ४९ रुपये का अन्तर है । सदन इस बात का अनुभव करेगा कि मूल्य निर्धारण, बोने वाले के लिये किये गये संरक्षण उपबन्ध के सम्बन्ध में था, किन्तु इसने यह नहीं बताया कि उसने कितना रुपया प्राप्त किया । कई बार, जब माननीय सदस्य हमें बताते हैं कि उत्पादन मूल्य इतना है और आपने इसे उत्पादन मूल्य से कम मूल्य पर इसे निश्चित कर दिया है, तो उन को कदाचित यह स्मरण नहीं रहता है कि बोने वाले को जो कुछ मिलता है, वह उतनी राशि नहीं है जो उत्पादन मूल्य तथा उसका लाभ और उसका अवक्षयन तथा ऋण पर उसका सूद इत्यादि, किन्तु कुछ अधिक है, और इसे वह इन सब वर्षों में प्राप्त करता रहा है, और यह रकम ५० रुपये तक रहती रही है—और यह निश्चित किये गये मूल्य लगभग ३५ या ३० रुपये तक अधिक होती थी । ऐसा होते हुये भी, उपभोक्ता के लिये मूल्य में कुछ वृद्धि से उत्पादक को सीधा लाभ होता है, और उत्पादकों द्वारा प्रभावित उत्पादकों के बोर्ड में, ऐसा कहा जाता है कि वे मूल्य वृद्धि का स्वागत करेंगे ।

मैं बताऊंगा कि १९५२ के मध्यकाल में क्या हुआ । १९५२ में, जब मूल्य प्रति हंडरवेट १८० रुपये निश्चित किया गया था, तो बागान (क) के औसत मूल्य इस प्रकार थे :—

मास	प्रति हंडरवेट औसत मूल्य
मार्च	१९६— ७—०
अप्रैल	२०७— ०—०
मई	२३८—११—०
जून	२५२— ०—०
जुलाई	२६९— ६—०
अगस्त	२९९—१२—०
सितम्बर	३१६—११—०

माननीय सदस्य इस की ओर ध्यान देंगे कि चक्कर मई में शुरू हुआ था । मैं अप्रैल के २०७ रुपये के आंकड़ों को भी छोड़ दूंगा,

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जो असामान्य आंकड़े हैं। मई में यह न्यूनाधिक २३८ रुपये तक पहुंच गया और तब यह २५२ रुपये हो गया, जिस आंकड़े पर यह कभी नहीं पहुंचा था, तब यह २६९ रुपये २९९ रुपये हुआ और अन्त में लगभग ३१६ रुपये हुआ। अतः उच्चतम मूल्य सितम्बर १९५२ में हुये थे।

यदि सदन मेरी आत्मप्रशंसा के लिये मुझे क्षमा करे, मई में नवीन मंत्री मण्डल बना था, और कॉफी हितों तथा दूसरे हितों का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व मुझ पर आया। जुलाई से, उपभोक्ताओं की ओर से, मंत्रालय में धड़ाधड़ अभ्यावेदन आने लगे कि भाव बढ़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। निस्सन्देह सरकारी संयंत्र बहुत धीरे धीरे काम करता है और इस प्रकार की दुरवस्था को समाप्त करने में यह बहुत कुशल नहीं है। जो दक्षिण भारत को नहीं जानते हैं मुख्यतया उन को तथा साधारणतया सब को मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां कॉफी प्रायः एक राष्ट्रीय पेय है, यह एक नशीली वस्तु है जो धनिकों द्वारा नहीं पी जाती है—धनिक, ओवलटीन तथा अन्य अनेक वस्तुयें खाते पीते हैं। यदि आप किसी धनिक के घर जायें, तो वह पहले आप को कुछ ठोस चीज़ खाने को कहेगा और तब सम्भवतः वह आप को ओवलटीन देगा, क्योंकि वह समझता है कि कॉफी देना आदरसूचक नहीं है। किन्तु यदि आप किसी निम्न मध्य श्रेणी के व्यक्ति के पास जायें, क्लर्क या स्कूल अध्यापक या पुलिसमैन के घर जायें, तो घर की महिला आप को काफ़ी पीने को देगी। कॉफी चाहे बहुत अच्छी न हो, तो भी वह कॉफी ही देगी, चाहे वह आगन्तुक को कॉफी पिलाने की क्षमता न भी रखती हो। पर यह न्यूनाधिक रूप से एक राष्ट्रीय पेय है, जहां तक निम्न मध्य श्रेणी का सम्बन्ध है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मांग है, जिसमें अधिकतर निम्न मध्य श्रेणी के लोग बसते हैं। वहां इसका कोई अपवाद नहीं मिलता है। हो सकता है वहां की कॉफी इस सदन के बाहर मिलने वाली कॉफी जैसी न हो, परन्तु वह होती है कॉफी ही। मैं ने इस मामले में उतनी शीघ्रता से काम नहीं लिया है, जितना कि मुझे लेना चाहिये था। मैं केवल इतना कर सकता था कि मुख्य विक्रय अफसर को मिलने के लिये बंगलौर बुलाता, जब कि मैं ३१ दिसम्बर को बंगलौर हो कर जा रहा था, और उसे बताता कि यदि कुछ नहीं किया जाता है तो सरकार को कोई कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। मुख्य विक्रय अफसर ने मुझे बताया, कि उसके पास अधिकार नहीं है, वह केवल क्रय विक्रय का नियंत्रण करता है, और नीति का संचालन बोर्ड द्वारा होता है, बोर्ड का सभापति, ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में, इंगलिस्तान गया हुआ था और दिसम्बर में वापिस आने वाला है, और वह इस के लिये अपना पूर्ण प्रयत्न करेगा कि विक्रय समिति इस विषय में कुछ करे। सरकार की उन धमकियों का कुछ प्रभाव पड़ा था, और धीरे धीरे नीलामी मूल्य गिर गया। नवम्बर में यह २५७ रुपये १४ आने था और दिसम्बर में २४५ रुपये १४ आने था, जब कि इससे पहले औसत मूल्य ३१६ रुपये ११ आने रहा था, यद्यपि वास्तव में कुछ मामलों में, मूल्य ३२७ या ३२८ रुपये तक बढ़ गया था।

मैं इस इतिहास को एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि बोर्ड के सभापति ७ दिसम्बर, १९५२ को वापस आये थे। परन्तु मुझे उनसे इस अभिप्राय का पत्र मिला था कि वास्तविक कारण यह था कि पहले वर्षों में सरकार ने निर्यात बन्द कर दिया था। अस्तु मैं ने सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। मैं ३१ दिसम्बर, १९५२ को बंगलौर

गया था तथा वहां मैं ने बोर्ड से भेंट की । तब तक मैं यह फैसला कर चुका था कि अधिनियम में परिवर्तन करना ही पड़ेगा तथा हमें कोई स्थायी सभापति नियुक्त करना होगा । इसका कारण यह था कि सभापति एक ग़ैर-सरकारी निर्वाचित सभापति था और वही बोर्ड का कर्ता धर्ता था । वह हर समय नहीं मिल सकता था । साथ ही मुख्य विक्रय अधिकारी केवल मार्केट सम्बन्धी कार्य ही करते हैं । गवेषणा का काम एक गवेषणा अधिकारी करते हैं, परन्तु इनमें सहयोजन करने का कार्य सभापति ही करता था । मूल्यों को विक्रय समिति द्वारा निश्चित किया जाता था जिसके सभापति यद्यपि मुख्य विक्रय अधिकारी थे, फिर भी उनकी इसमें प्रभावशाली आवाज़ नहीं थी । अतएव यह एक विचित्र स्थिति थी जो मूल्यों के चढ़ते समय तो बहुत अच्छी सिद्ध होती थी अथवा उस समय बहुत उपयुक्त होती थी जब आप बड़े उत्पादकों की जेबों में कुछ और धन भरना चाहते थे । यदि एक हंडरवेट के दाम १८० रुपये से चढ़ कर २२० रुपये हो जाते थे तो छोटे उत्पादक को, जो एक या डेढ़ हंडरवेट का उत्पादन करता था, ६० रुपये मिलते थे । परन्तु जो व्यक्ति ५०० एकड़ में आठ या नौ हंडरवेट उपजाते हैं, उनके लिये यह कॉफी लाभप्रद है । मैं माननीय सदस्यों को यह जतलाना चाहता हूं कि उत्पादकों के किसी भी बोर्ड में बड़े उत्पादक का प्रभाव बहुत काम करता है तथा दामों में वृद्धि का लाभ बड़े उत्पादकों को ही पहुंचता है । छोटे व्यक्ति को इससे कुछ भी लाभ नहीं होता है । यह रहा बोर्ड की स्थापना के बारे में । जैसा कि मैं ने कहा, मैं ने बोर्ड से ३१ दिसम्बर, १९५२ को भेंट की थी तथा इस मामले की उनसे चर्चा की थी । मैं बंगलौर में एकमात्र इसी अभिप्राय से गया था तथा मैं एक दिन सवेरे का सारा समय उनके साथ रहा था । मैं पूर्ण स्पष्टता से य कहना चाहता हूं कि मैं सभापति की बातों में आ गया था । मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो यहां उपस्थित नहीं है, निन्दाजनक शब्द नहीं कहना चाहता हूं । मैं उनकी बातों में इसलिये आ गया था क्योंकि वह बहुत ही योग्य व्यक्ति थे तथा काफी के बारे में ऐसी कोई बात ही होगी जो उन्हें मालूम न हो । वह बहुत मधुरभाषी तथा न्यायप्रिय व्यक्ति थे । वास्तव में उन्होंने मुझे बताया था कि वह सभापति के पद को छोड़ रहे थे तथा उनके विचार से यह अच्छा था यदि अब पूरे समय के लिये सभापति को नियुक्त किया जाता जिस से कि वह इस ओर अधिक ध्यान दे सके । ऐसा जान पड़ता था कि वह मेरी हर बात से सहमत थे । मैं ने बोर्ड को बताया कि हमारे विक्रय के प्रबन्धों में हस्तक्षेप न किया जाय । एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी जा चकी है । यदि आप उसे कुछ अधिक दे सकते हैं तो आप प्रसन्नता से ऐसा कर सकते हैं, परन्तु कम मूल्य की गारंटी दे कर अधिकतम मूल्य को किसी सीमा तक चढ़ने देना अनुचित था । वे नीलाम के स्थान पर कोई और तरीक़ा प्रयोग में ला सकते हैं क्योंकि नीलाम से दाम बढ़ जाते हैं । उपभोक्ता इन नीलामों में कभी नहीं आते हैं । इस पर उन्होंने सोचने विचारने के लिये हम से कुछ समय मांगा । उन्होंने दामों को कम करने के लिये तीन मास का समय मांगा । यहां लौटते ही मुझे बोर्ड से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि सरकार के अधिकांश सुझाव ग़लत थे तथा वर्तमान प्रणाली को चालू रहने दिया जाना चाहिये । उन्होंने मूल्यों को कम करने में भी असमर्थता प्रकट की इस मामले के बारे में जो कुछ हुआ है उसका लगभग यह वृत्तान्त है ।

इस मामले में हमें इन दो मख्य तत्वों को याद रखना चाहिये कि मूल्य बढ़ गये थे तथा इन मूल्यों का निश्चित करना बोर्ड

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के हाथ में था। उसने न्यूनतम मूल्य निश्चित कर रखा था अधिकतम नहीं। दूसरी बात यह है कि कॉफी का विकास एक समान नहीं रहा है। उत्पादन-मात्रा लगभग २७,००० टन है और उत्पादन डेढ़ या दो हंडरवेट प्रति एकड़ है। इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। श्रीमान्, मेरे विचार से बोर्ड की पुनर्स्थापना तथा इसे दृढ़ आधार पर लाने का यह स्पष्ट कारण है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खपत के आंकड़े भी कम हो गये हैं। मैं ने खपत की कुल मात्रा बताई थी। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सन् १९५३ में खपत की मात्रा सब से कम थी तथा १५,००० टन के लगभग थी। हो सकता है कि इसका कोई कारण हो क्योंकि एक मास कोई नीलाम नहीं हुआ था। परन्तु अगले मास भी यह अवस्था सुधरी नहीं। यह अधिक दामों का प्रत्यक्ष परिणाम है। अधिक दामों के समय खपत कम हो गई थी तथा काफी की खपत ऐसी नहीं है जिसमें कभी वृद्धि न हो सकती हो। फिर भी यह एक विलास वस्तु है जिसमें प्रयोग की अनुमति निचले मध्यम वर्ग को भी होनी चाहिये। उनके जीवन में शायद ही कोई दूसरी विलास वस्तु हो। इस बात की दामों पर भी प्रतिक्रिया होती है तथा मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर ध्यान दे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले चार महीनों में, अर्थात् जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल में, जब कि उत्पादक के लिये दो रुपये चार आने मूल्य निश्चित कर दिया गया था तथा निम्नतम मूल्य दो रुपया एक आना था, हमने अनुभव किया था कि उत्पादक की लागत की गारंटी होने से हम नीलाम के अधिक मूल्य को कुछ कम नहीं कर सकते थे। इसका अर्थ यह है कि १८० रुपये के स्थान पर हमने इसे ८ १।३ प्रतिशत कम कर दिया। ऐसा करने के बाद मूल्य कम हो गये। इसका परिणाम यह है कि पिछले चार मास में नीलाम की मात्रा की औसत से लगभग २,००० टन प्रति मास रही है। जनवरी से अप्रैल तक ८,०४४ टन मात्रा का नीलाम हुआ। यदि आप इसका विभाजन करें तो यह २,००० टन प्रति मास होता है। यह स्थिति इस तथ्य के अनपेक्ष है कि उत्पादन शुल्क अधिकारियों के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण, जो आयव्ययक से दस दिन पहले सभी उत्पादन शुल्क लगने वाली वस्तुओं का विक्रय बन्द कर देते हैं, उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने बोर्ड से कहा आप इन वस्तुओं को मुक्त न करें। आपको कोई नीलाम नहीं करना चाहिये। अस्तु, उत्पादन शुल्क अधिकारियों का अपना नियम तथा ढंग है, उन्होंने नीलाम बन्द कर दिये। फिर भी कुल खपत ८,०४४ टन हुई। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि यह मूल्यों में कमी करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह कमी बहुत असामान्य नहीं है तथा यह सन् १९४६ के मूल्यों में नहीं बल्कि सन् १९५२ के मूल्यों में हुई थी। इसके परिणामस्वरूप आन्तरिक खपत में कुछ वृद्धि हुई है। कॉफी उद्योग में रुचि रखने वाले कुछ माननीय सदस्य कह सकते हैं कि "इसमें क्या ग़लत बात है। आप आन्तरिक खपत को क्यों बढ़ाना चाहते है ?" वे कह सकते हैं कि आप इसका निर्यात क्यों नहीं करते क्योंकि इससे आपको बहुत दाम मिल सकते हैं। वास्तव में हमारे थोड़े से उत्पादन शुल्क के होते हुये भी निर्यात शुल्क, विभिन्न उपशुल्कों तथा बगान सम्बन्धी व्ययों को कम करने के बाद जो मूल्य बनता है वह ४६० रुपये से ४८० रुपये प्रति हंडरवेट है जबकि अधिकतम निश्चित मूल्य १६७

रुपये है। निश्चय ही हमें बहुत अधिक दाम मिल सकते हैं क्योंकि कॉफी की विश्व मण्डी में बहुत तेजी है। साथ ही यदि आप यह सोचें कि आन्तरिक उपभोक्ता की उपेक्षा करते हुये उत्पादकों को विश्व की मंडी से लाभ उठाना चाहिये तथ्य तो आप यह भूल जाते हैं कि आन्तरिक उपभोक्ता से आपको १९४३, १९४४, १९४५ तथा १९४६ के वर्षों में क्या सहायता मिली थी जबकि निर्यात की मण्डी के न रहने से उसने खपत द्वारा इस उद्योग को जीवित रखा था। जिन माननीय सदस्यों को कॉफी की विश्व मण्डी का पता है, वह जानते हैं कि १९४६ में कई लाख टन कॉफी इसलिये केरेबियन समुद्र में बहा दी गई थी क्योंकि ब्राज़ील में अत्यधिक फसल हुई थी तथा मूल्य बहुत कम थे। उस समय आन्तरिक उपभोक्ता से आपको १५ रुपये प्रति हण्डरवेट मिले थे जिससे आप अपने उद्योग को जीवित रख सके थे तथा निर्यात कर सके थे।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला): सन् १९४६, १९४७ तथा १९४८ में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य को यह सूचना चर्चा के प्रश्नोत्तर के समय मिलेगी।

मेरा यह कहना है कि प्रत्येक बार उपभोक्ता ने ही त्याग किया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कॉफी उत्पादन के हित में कोई रुचि नहीं है क्योंकि उनके क्षेत्र में केवल एक हज़ार एकड़ में ही इसकी खेती होती है।

श्री मात्तन: मैं एक उपभोक्ता हूं। मैं उत्पादक नहीं हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जैसा कि मैं ने कहा है इस उद्योग को देशी मण्डी पर निर्भर रहना पड़ेगा तथा मैं समझता हूं कि पिछले दिनों भी इस उद्योग के प्रति देशी मण्डी का रवैय्या बहुत संतोषजनक रहा है तथा भविष्य में इसकी उपेक्षा करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। इस वर्ष काफी का अतिरेक रहा है। पिछले वर्ष भी खपत के कम हो जाने से अतिरेक रहा था जिसके परिणामस्वरूप मैं ने १८,००० टन में से ३,००० टन के निर्यात की अनुमति दे दी थी। इस वर्ष २७,००० टन फसल हुई है तथा ५,००० टन का निर्यात हो चुका है। जो अधिक दाम वसूल होंगे, वे सांझे खाते में जायेंगे तथा उत्पादक को दो रुपया चार आने प्रति प्वांइट, १८० रुपये प्रति हंडरवेट नहीं बल्कि और अधिक दाम मिलेंगे। हो सकता है कि यह चार आने, पांच आने या सात आने प्रति प्वाइण्ट अधिक हों। मैं उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं करूंगा। यह उन्हें अवश्य मिलेंगे।

श्री मात्तन: सभी नहीं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: पूरे का पूरा मिलेगा। परन्तु यदि सदन या प्रवर समिति यह कहे कि पूरे दाम नहीं मिलने चाहियें तथा कुछ भाग किसी पक्ष विशेष को और कुछ भाग उद्योग के पुनर्संस्थापन के लिये रखा जाय तो मैं उस के कथनानुसार कार्य करूंगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार संशोधित अधिनियम के अनुसार भी इसका अर्थ यह होगा कि यह सारा लाभ उन्हें मिलेगा। निर्यात से हमें जो भी लाभ होगा, वह उत्पादक को मिलेगा। मैं इसे उस समय तक बन्द नहीं करुंगा जब तक कि उपभोक्ता को यह उचित दामों पर मिलती रहेगी— मेरा यह कहना है कि कॉफी के उपभोक्ता के विचार से ये दाम उचित नहीं है।

मैं ने निर्वाह व्यय तथा कॉफी के मूल्यों के सम्बन्ध में एक तालिका माननीय सदस्यों

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

को दी है । माननीय सदस्य यह देखेंगे कि निर्वाह व्यय के बढ़ने से कॉफी के मूल्य भी चढ़ गये हैं । इतने पर भी मैं समझता हूं कि उत्पादक को उचित मूल्य मिलेगा । यदि उत्पादक उपभोक्ता मूल्य तथा उत्पादन की औसत मूल्य चाहता है तो इस में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है । किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होने का प्रश्न ही कहां उठता है ? यह हो सकता है कि कोई उत्पादक अथवा उत्पादक संघ किसी मंत्री विशेष के किसी लाभ के न दिये जाने के कारण विरुद्ध हो । मैं ने गत डेढ़ वर्षों में मूल्यों को गिराने की चेष्टा की है और वह गिर भी गये हैं । हो सकता है कि इस से किन्हीं शक्तिशाली उत्पादकों के हितों को कुछ हानि पहुंची हो और उन्होंने इस के विरुद्ध समाचार पत्रों में शोर मचाया हो । परन्तु ओखली में सिर देने पर मूसलों की सम्भावना तो रहती है । मैं तो इस प्रकार का उत्तर तक नहीं देना चाहता हूं ।

परन्तु इस सब से कुछ चोट तो लगती ही है और वह भी इसलिये क्योंकि यह सत्य नहीं है । झूंठ से चोट लगती है, सत्य से नहीं । परन्तु मुझे कोई शिक़ायत नहीं है । यह लुका-छुपी का खेल तो होता ही रहता है । कुछ लोगों की तो जीविका ही यह है, इसलिये मुझे कोई शिक़ायत नहीं है । मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ने उपभोक्ता के हित के लिये मूल्यों को कम करने की चेष्टा की और कुछ सीमा तक मुझे सफलता भी मिली । इस सफलता का एक प्रमाण तो यही है कि बढ़े हुये मूल्यों के अनपेक्ष भी खपत बढ़ गई है । इस से उद्योग को प्रश्रय मिलेगा । लोग और अधिक क्षेत्र में कॉफी बोयेंगे । हम तो इस की कृषि में लगी भूमि का क्षेत्र एक लाख एकड़ और बढ़ा देना चाहते हैं और इस का अर्थ यह होगा कि और अधिक कॉफी पैदा होगी । इस से भारत कोई ५० करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकेगा । मुझे यह भी ज्ञात है कि उत्तरी भारत में भी कॉफी पीने का रिवाज़ हो गया है, इस से कॉफी की खपत बढेगी और अन्त में इन सब बातों से उद्योग को लाभ पहुंचेगा । इस विधेयक का यही उद्देश्य है । इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम को इस प्रकार संशोधित करना है जिस से कि बोर्ड को और अधिक क्रियाकारी बनाया जाये, छोटे उत्पादकों को लाभ पहुंचाया जाये और उपभोक्ता के हित को सदैव प्राथमिकता दी जाये ।

मुझे सदन का और समय लेने की आवश्यकता नहीं है । निस्सन्देह, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे । यदि मुझे उत्तर देने का पूरा पूरा समय मिला तो मैं उनके जवाब अवश्य ही दूंगा । कुछ परिवर्तनों को छोड़ कर, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं, यह विधेयक लोगों के सामने रहा है । लेकिन मैं ने इसे वापस ले लिया है और उच्च दर पर उपकर लगाने की व्यवस्था करते हुये इसे पुरःस्थापित कर दिया । जहां तक इन उपबन्धों का सम्बन्ध है, हमें अनेक निकायों से अभिवेदन प्राप्त हुये हैं । स्वयं कॉफी बोर्ड ने इस पर विचार करके हमें एक छपा हुआ ज्ञापन दिया है । एक या दो बातों से वह सहमत नहीं है । जैसे, प्रतिनिधित्व के तरीके पर । वह नहीं चाहता कि उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व दिया जाये । वह चाहता है कि प्रत्येक संस्था काफ़ी बोर्ड के लिये सीधे प्रतिनिधि चुने । लेकिन अध्यक्ष के सम्बन्ध में तो काफ़ी बोर्ड भी सहमत हो गया है । जैसा कि मैं कह चुका हूं भूतपूर्व अध्यक्ष ने मुझ से कहा था कि यह अच्छा होगा यदि अध्यक्ष पूर्णकालिक हो । वह पूर्णकालिक अध्यक्ष रखने के लिये तैयार हो गया है । इन सब मामलों पर प्रवर समिति विचार कर सकती है । मैं यह सब बातें उसके सामने रख दूंगा तथा सम्भव है मैं

उसके सामने वह भी सूचना रख दूं जो मेरे पास है तथा उसकी अन्तिम उपपत्तियां स्वीकार करते हुये उन्हें सदन समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। बस, मुझे केवल इतना ही कहना था।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कॉफी विक्रय अधिनियम, १९४२, में अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक को श्री आर० वेंकटारमन्, श्री सी० आर० नरसिंहम्, श्री बीरेन्द्रनाथ कथम, श्री लैसराज जोगेश्वर सिंह, श्री वेंकटराव पीराजीराव पवार, श्री चन्द्र शंकर भट्ट, श्री अमर सिंह साबजी डामर, श्री गोस्वामीराज सहदेव भारती, श्री वासुदेव श्रीधर किरोलिकर, श्री राघवेन्द्र राव, श्री निवासराव, श्री एच० सिद्धनंजप्पा, श्री एन० राचय्या, श्री के० शक्तिवडिवेल गौंडर, श्री जार्ज टामस कौत्तुकपल्ली, श्री एन० सोमना, श्री हेमराज, श्री पी० सी० बोस, श्री नयनतारा दास, श्री भागवत झा आज़ाद, डा०सत्य नारायण सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री बैजनाथ कुरील, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्रीमती गंगा देवी, सेठ अचल सिंह, श्री हर प्रसाद सिंह,श्री बादशाह गुप्त, श्री के० जी० बोडयार, श्री आर० एन० सिंह, श्री के० ए० दामोदरमेनन, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री एम० डी० रामस्वामी, डा० डी० रामचन्द्र, श्री वाई० गाडीलिंगन गौड, डा० इन्दुभाई बी० अमीन, श्री डी० पी० करमरकर, तथा श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी): माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक भी लगभग वैसा ही है जैसे कि उन्होंने अन्य विधेयक रखे थे, अर्थात्, रबड़ विधेयक, चाय बोर्ड विधेयक, आदि। इस विधेयक मे भी उन्होंने सरकार की शक्ति बढ़ा दी है। बोर्ड के बनाने और उसके कार्यसंचालन के बारे में सरकार ने अपने हाथ में व्यापक अधिकार रखे हैं। बोर्ड से परामर्श करने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध थे उन को निकाल दिया गया है। यद्यपि उन्होंने एक सारगर्भित भाषण दिया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह यह संशोधन क्यों करना चाहते हैं। वह इस बोर्ड के सम्बन्ध में सारे अधिकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं। यदि इस उद्योग में अधिकतर विदेशी होते तो एक बार यह भी मान लिया जाता कि कड़े नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इसमें तो अधिकतर छोटे छोटे उत्पादक हैं जिनकी भूमि दो एकड़ से भी अधिक नहीं है। फिर इतना कड़ा निर्यत्रण रखने की क्या आवश्यकता है? बोर्ड के लिये जितने व्यक्ति रखे जायेंगे वे सब के सब नामनिर्दिष्ट होंगे। उनका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें करेंगी। उत्पादक, उपभोक्ता या श्रमिक अपने आप से किसी को चुन कर नहीं भेज सकते हैं। विधेयक के अन्तर्गत उन सब को नामनिर्देशित किया जायेगा। वास्तव में, इस प्रकार संगठित किये गये बोर्ड सरकार की हां में हां मिलाते रहते हैं और उनसे उद्योग को कोई लाभ नहीं होता। उनमें नौकरशाही का बोलबाला होता है। मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

काफी के सम्बन्ध में उत्पादन बढ़ाने की समस्या सब से मुख्य है। यद्यपि माननीय मंत्री ने यह बताया था कि काफी का उत्पादन १७ प्रतिशत बढ़ गया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि भूमि में भी ३३ प्रतिशत वृद्धि हुई है। यदि आप रिपोर्ट को देखें तो आपको पता लगेगा कि कॉफी में लगने वाली

[श्री पुन्नूस]

बीमारियों की रोकथाम करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिये विशेष उपाय काम में नहीं लाये गये। भूमि में उतनी वृद्धि नहीं की गई जितनी कि की जानी चाहिये थी। कॉफी तो देश के अन्य भागों में भी सरलता से उगाई जा सकती है। लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। उपकर तो एक रुपये से बढ़ा कर छः रुपये कर दिया गया है लेकिन उसके साथ साथ उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये कुछ भी नहीं किया गया है।

छोटे उत्पादकों को समय पर रुपया नहीं मिल पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे सस्ते दामों पर ही कॉफी बेच जाते हैं जिसको काला बाज़ार करने वाले खूब बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं। मेरा निवेदन है कि छोटे उत्पादकों की सहायता के लिये सहकारी संस्थायें बनाई जानी चाहिये जो उन्हें समय पर रुपया दे सकें।

जहां तक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है उन्हें कॉफी बहुत महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है। देखा जाये तो अभी देश में कॉफी के प्रचार के लिये काफी गुंजाइश है। जब कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति १७ पौंड कॉफी पीता है तब भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति केवल एक पौंड का १/७ भाग पीता है। अतः मेरा निवेदन है कि उतनी ही मात्रा निर्यात करने दी जाये जितनी से देश के अन्दर कॉफी के दाम अधिक न बढ़ें और वह उचित दामों पर उपलब्ध हो सके।

अब मैं श्रमिकों के प्रतिनिधित्व पर आता हूं। 'इण्डियन कॉफी लेबर यूनियन' नामक संस्था कॉफी श्रमिकों की एक मात्र संस्था है, फिर भी, बोर्ड ने उसे स्वीकार नहीं किया। कॉफी उद्योग में काम करने वाले ९९ प्रतिशत श्रमिक इसके सदस्य हैं, फिर भी, इसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। श्रमिकों ने इस सम्बन्ध में अनेक बार सभायें कीं, अभिवेदन भेजे, वह मंत्री से भी मिले, लेकिन कोई परिणाम न निकला। मैं पूछता हूं कि आप उसे मान्यता प्रदान क्यों नहीं करते हैं? अन्य उद्योगों में तो श्रमिकों के प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव होता है लेकिन इस बोर्ड पर आप श्रमिकों को अपने प्रतिनिधि सीधे ही क्यों नहीं चुनने देते हैं। सीधा चुनाव न होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकार अपने पिट्ठुओं को भर लेती है। कॉफी श्रमिकों की तो अखिल भारतीय संस्था है। उसके प्रतिनिधि लेने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। न केवल बागानों में काम करने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये बल्कि बोर्ड में काम करने वालों को भी। श्रमिकों के बारे में जो शर्तें लागू होती हैं उनका स्पष्टरूप से यहीं पर उल्लेख हो जाना चाहिये। उनको बोर्ड की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति कॉफी का उत्पादन बढ़ाने और भारत में उसका और अधिक प्रचार करने के उद्देश्य को लेकर इस विधेयक पर विचार करे।

श्री अशोक मेहता (भंडारा): इस विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य हैं: एक तो उद्योग का विकास करना और दूसरे बोर्ड और सरकार के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करना। हमें बड़ा खेद है कि प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में इन उद्देश्यों का कोई जिक्र नहीं किया। मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार उद्योग को विकसित करने का विचार रखते हैं। विधेयक में तो इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। इसमें केवल शुल्क की दर १ रुपये से ६ रुपये बढ़ाने

का ही एक ठोस उपबन्ध किया गया है । इसके अलावा और कुछ नहीं है । बोर्ड और सरकार में समन्वय स्थापित करना तो दूर रहा, हम तो यह देख रहे हैं कि बोर्ड को सरकार के अधीन रखने का प्रयत्न किया जा रहा है । बोर्ड में उत्पादक अथवा मज़दूरों के कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होंगें । बोर्ड की रचना में भी उत्पादक संघों अथवा मज़दूर संघों की कोई आवाज़ नहीं होगी ।

प्रस्तावक महोदय के भाषण से यह प्रतीत होता है कि वह अपनी इच्छा का बोर्ड बनवाना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि पिछले समय में बोर्ड बहुत असंतोषजनक ढंग से काम करता रहा है । बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त हुआ करेगा और उसे उप-नियम बनाने का अधिकार नहीं होगा । सारे नियम सरकार द्वारा बनाये जायेंगे । बोर्ड के सारे अधिकारी सरकार द्वारा न केवल नियुक्त ही किये जायेंगे बल्कि उनकी नौकरी की शर्तें तथा वेतन आदि भी सरकार द्वारा ही निश्चित होंगे । मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसे बोर्ड की ज़रूरत ही क्या है ? इतना बड़ा बोर्ड बनाया ही क्यों जाये ? वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी, मंत्री महोदय के पास वे सारे अधिकार हैं जो उन्हें चाहियें । मंत्री जी बोर्ड से परामर्श लेने के बाद किसी भी प्रकार की फसल के लिये जो दाम चाहें निश्चित कर सकते हैं । मुख्य विक्रय अधिकारी भी सरकार द्वारा नियुक्त होता है । हमें बताया गया है कि पिछले समय में कॉफी के दाम बहुत ऊंचे पहुंच गये थे और उपभोक्ताओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था । इसकी ज़िम्मेदारी, निश्चय ही, सरकार पर है, क्योंकि सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं और बोर्ड को एक शक्तिहीन संस्था बना दिया है ।

यह बोर्ड एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया था और वह उद्देश्य था कॉफी का सहकारी आधार पर विक्रय । विचार यह था कि कॉफी उत्पादक सारा माल बोर्ड को दे दें और बोर्ड ही उसको बेचने की पूर्ण रूप से व्यवस्था करे । यदि इस विधेयक में इन सब बातों का उपबन्ध होता तो मैं उसका स्वागत करता, परन्तु वास्तव में यहां सहकारिता को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है और कॉफी विक्रय का काम सरकारी कर्मचारियों पर ही छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है ।

हाल ही में इस उद्योग के विकास के तरीकों की जांच करने के लिये एक समिति बनाई गई थी । इससे पहले कि यह समिति अपनी रिपोर्ट दे, हम से कहा जा रहा है कि हम सारे अधिकार एक ऐसी संस्था को सौंप दें जिसमें सारे सदस्य सरकार के नाम-निर्देशित व्यक्ति हों । माननीय प्रस्तावक महोदय की बात से पता चलता है कि जो लोग नामनिर्देशित किये जायेंगे उन्हें विभिन्न हितों का विश्वास प्राप्त नहीं होगा । उन्होंने कहा कि इन अधिकारों और बढ़ी हुई कीमतों का लाभ केवल बड़े उत्पादक ही उठा रहे थे और छोटे उत्पादकों को तो नुकसान ही हो रहा था । ऐसा कैसे हो सकता है ? काफी उत्पादकों में छोटे उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक है । मैं पूछता हूं कि उन्हें एक क्यों नहीं किया गया है और उनकी सहकारी संस्थायें क्यों स्थापित नहीं की गई हैं ? निश्चय ही, सरकार यह व्यवस्था कर सकती थी जिससे छोटे छोटे उत्पादक एक दूसरे से मिल कर सहकारी समितियां बना सकते थे । परन्तु यहां सहकारी संस्थायें स्थापित करने के बजाय सरकार उद्योग को न केवल अपने नियंत्रण में रखना चाहती है वरन् वह बोर्ड को अधिकारीवर्ग को भी अपने हाथ में रखना चाहती है । हममें से बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि भारत का भविष्य सहकारी संस्थाओं के विकास पर

[श्री अशोक मेहता]

निर्भर है और हम यह समझते हैं कि राज-शक्ति को प्रतिबन्धित करके जन-शक्ति से ही काम लिया जाना चाहिये । हम यह चाहते हैं कि बोर्ड अधिक से अधिक स्वायत्त बने और उसमें सम्बन्धित पक्षों का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अभी श्री अशोक मेहता ने आपको कॉफ़ी उद्योग में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिये जाने का महत्व बताया । मैं इस सम्बन्ध में कुछ और कहना नहीं चाहता, मैं केवल दो एक महत्वपूर्ण विषयों पर ही बोलूंगा ।

कुछ समय पूर्व जब मंत्री महोदय ने कॉफी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया था, तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कॉफी की उत्पादन लागत के प्रश्न को उठाया था । सारे सदस्यों की यही राय थी कि सरकार ने लागत लेखा अधिकारी की जिस तरीक़े से नियुक्ति की थी वह ग़लत था और उसने जो रिपोर्ट पेश की है वह तथ्यों पर आधारित नहीं थी । सदन ने एकमत हो कर यह मांग की थी कि यह मामला प्रशल्क आयोग को सौंप दिया जाये जो इसका ठीक ठीक फैसला कर देगा । परन्तु माननीय मंत्री ने प्रशुल्क आयोग को यह मामला निर्दिष्ट नहीं किया और न ही इसका कोई कारण बताया । लागत लेखा पाल के खिलाफ शिक़ायत यह थी कि वह सरकारी कर्मचारी है और कॉफी बागानों की बातों से अनभिज्ञ है । इसलिये हमने कहा था कि यदि प्रशुल्क आयोग इस मामले में जांच करे तो ठीक रहेगा, परन्तु माननीय मंत्री इस बात पर सहमत नहीं हुये । मेरा विचार है कि अब भी देर नहीं हुई है और इस मामले को अब भी प्रशल्क आयोग के फैसले के लिये निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

श्री अशोक मेहता ने यह ठीक कहा कि इन बोर्डों के अधिकार कम करने की नीति अच्छी नहीं है । इससे उद्योगों की समस्या कभी हल नहीं हो सकती । यदि बोर्डों से हमें कोई लाभ उठाना है तो उन्हें कुछ अधिकार दिये जाने चाहियें और उनमें सारे सम्बन्धित पक्षों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

वर्तमान कानून में यह उपबन्ध है कि किसी निश्चय पर पहुंचने से पहले सरकार को पर्षद से परामर्श लेना चाहिये । माननीय मंत्री इस उपबन्ध को हटा रहे हैं । वह बोर्ड को मंत्रालय के पूर्ण रूपसे अधीन रखना चाहते हैं । मुझे इसमें आपत्ति है, मैं पूछता हूं कि जब सरकार के पास पहले से काफी अधिकार हैं और वह बोर्ड की राय को नामंजूर भी कर सकती है तो फिर बोर्ड से परामर्श लेने में हानि क्या है ? क्या उद्योग को इससे किसी प्रकार की हानि होगी ? मेरी राय में यह एक अनचिंत संशोधन है और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कॉफी उद्योग के विकास पर ज़ोर दिया और कहा कि केवल बड़े बड़े उत्पादक ही उद्योग से फायदा उठा रहे हैं । मैं उनसे पूछता हूं कि छोटे उत्पादकों की हालत सुधारने के लिये उन्होंने क्या क़दम उठाये हैं ? क्या इस अधिनियम के संशोधन से उनकी दशा में सुधार हो जायेगा ? सरकार को पहले ही से काफी अधिकार प्राप्त थे परन्तु फिर भी उद्योग का विकास करने में वह असफल ही रही है और उसकी अब तक की नीति से न उत्पादक सन्तुष्ट हैं और न उपभोक्ता । माननीय मंत्री ने हमें यह नहीं बताया कि वर्तमान अधिनियम के कारण उनके काम में क्या क्या कठिनाइयां आती थीं और इन अधिकारों को लेकर वह उद्योग में कहां तक सुधार कर सकेंगे ।

फिर, मेरा यह निवेदन है कि काफी और चाय के बारे में सरकार ने अलग अलग नीतियां अपना रखी हैं। काफी बोर्ड अन्य बोर्डों से भिन्न है। यह बोर्ड पहले सारी काफी अपने क़ब्ज़े में कर लेता है और फिर वितरण करता है। अन्य वस्तुओं के बोर्ड ऐसा नहीं करते, मैं पूछता हूं कि चाय के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह समस्त बोर्डों के बारे म एक सामान्य नीति बनाये।

मझे एक बात और कहनी है। जितना भी खर्चा हो उसे वसूल किये गये उपकर में से पूरा किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री शायद यह सोच रहे हैं कि बोर्ड का खर्चा और अनुसन्धान एवं प्रचार का सारा व्यय काफी के विक्रय से इकट्ठे किये गये रुपये में से पूरा किया जाना चाहिये। यह एक असाधारण बात है। चाय बोर्ड में भी इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले में एक भिन्न नीति क्यों अपना रहे हैं?

अन्त में मैं यही कहूंगा कि सरकार की नीति असन्तोषजनक है और इस से उद्योग की उन्नति एवं विकास नहीं हो सकता। यद्यपि मंत्री महोदय ने ज़ोरदार शब्दों में यह कहा है कि उपभोक्ताओं तथा सामान्य जनता के हितों की रक्षा की जायेगी, परन्तु अभी तक उनकी नीति से कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं और उद्योग से सम्बन्धित कोई पक्ष उससे सन्तुष्ट नहीं है।

श्री मात्तन : मैं ने जब माननीय मंत्री से पूछा कि वर्ष १९४४ से १९४७ तक में कितनी काफी का निर्यात किया गया तो वे कुछ क्रुद्ध हो गये। मैं जानना चाहता था कि उपभोक्ता कितना बलिदान देता है। मैं उस प्रत्येक प्रयत्न का समर्थन करूंगा जिस के द्वारा भारत में काफी का मूल्य कम हो सके।

भारत में १९३० से १९४० तक जो काँफी उद्योग की स्थिति थी उसे मैं जानता हूं। काफी हाउस और काफी बोर्ड ने भारत में काफी के उपभोग को बढ़ावा दिया था अब इस का पर्याप्त उपभोग होता है।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री ने काफी के विकास पर विचार नहीं किया यह एक बागान उद्योग है और इस में विकास की बहत गुंजाइश है। इस के विकास द्वारा बेकारी की समस्या में भी सहायता मिल सकती है।

मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई जब माननीय मंत्री ने कहा कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे उत्पादक हैं जो प्रति एकड़ $1\frac{1}{2}$ हंडरवेट काफी उत्पन्न करते हैं जबकि सुसंघठित बागान वाले ८ अथवा ९ हन्डरवेट प्रति एकड़ उत्पन्न करते हैं। यह छोटे उत्पादकों के लिए प्रेरणाजनक है। वस्तुतः सब का ही यह उद्देश्य होना चाहिये कि उत्पादन को $1\frac{1}{2}$ हंडरवेट से ९ हंडरवेट तक बढ़ाया जाये और इस के लिये रासायनिक खाद तथा वैज्ञानिक ढंगों को अपनाया जाना चाहिये। उत्पादन में वृद्धि के बिना तो सब व्यर्थ है। माननीय मंत्री ने कहा है कि १९५३ में काफी का उपयोग कम था। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आप देख सकते हैं कि प्रतिमास २००० टन काफी बिकती है। अतः उपभोग में कोई कमी नहीं हुई।

१० म० पू०

पूरे समय के लिये सभापति की नियुक्ति पर मुझे आपत्ति नहीं है। परन्तु वह विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं होना चाहिये। वे संघठित उद्योग हैं और बहुत कौशलपूर्ण काम कर रहे हैं। इस के अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार मंत्री को नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः संघठित संस्थाओं में से कुछ को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुज्ञा क्यों न दी जाये। उन का बहुमत नहीं होगा और

[श्री मात्तन]

यदि हुआ भी तो मंत्री को उन का निर्णय बदलने का अधिकार है ही ।

बोर्ड के साथ परामर्श के जिस उपबन्ध को नये विधेयक में से निकाल दिया गया है वह विचाराधीन विषय है । मंत्रालय चाहे कितना कुशल क्यों न हो उस में इतनी कार्यपटुता नहीं हो सकती और न ही उसे उद्योग का इतना ज्ञान हो सकता है । जितना बागान मालिकों के संघठित वर्ग को है । मेरा विचार है कि परामर्श सम्बन्धी उपबन्ध को रखे रखना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : मैं सामान्यतः विधेयक में रखे गये परिवर्तनों का समर्थन करता हूं और इसलिये उस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं जो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिये प्रस्तुत किया है ।

बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में मुझे एक शिकायत है । मंत्रालय की यह प्रवृत्ति सदा बढ़ती रही है कि बोर्डों के स्थान पर कुछ चुने हुए व्यक्ति रखे जायें । कभी कभी तो यह सौभाग्य की बात होती है कि प्रभारी मंत्री को उद्योग के बारे में काफी ज्ञान होता है परन्तु कभी कभी ऐसा नहीं होता । अतः बोर्ड में व्यापार तथा उद्योग और श्रम के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन का अधिकार मंत्री को दे देना भयानक है । भय तो यह है कि कहीं बोर्ड का प्रतिनिधि रूप नष्ट न हो जाये । सरकार का यह कहना सर्वथा निराधार है कि बोर्डों में कुछ अधिकारपूर्ण संस्थाओं द्वारा नामनिर्देशन से बड़े बड़े निहित स्वार्थों का नियंत्रण बना हुआ है । इन संस्थाओं में से वस्तुतः बहुतों में लोकतन्त्रात्मक सिद्धांतों पर कार्य संचालन होता है । धारा ४ की उप-धारा (२) में यह लिखा है कि मैसूर में काफी उत्पादकों के चार प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन मैसूर सरकार करेगी । इस के लिये मैसूर सरकार को या तो काफी उत्पादकों की संस्थाओं के पास पहुंचना होगा और या वह केन्द्रीय सरकार से पूछेगी । जिस का अभि-प्राय यह हुआ कि यह नाम-निर्देशन वस्तुतः प्रभारी मंत्री करेगा । यह सिद्धान्त बहुत भयानक है !

आयात तथा निर्यात मंत्रणाकार परिषदों में कतिपय वाणिज्य मंडलों द्वारा नाम निर्देशन करने की पद्धति समाप्त कर दी गई है । फिर भी उन का कार्य ठीक चल रहा है । इस का कारण यह है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को पूरा पता है कि किस क्षेत्र में से किस व्यक्ति को लेना चाहिये । परन्तु मंत्री को अपने दृष्टिकोण से विधान के सम्बन्ध में नहीं सोचना चाहिये क्योंकि सरकार की व्यवस्था स्थायी है, मंत्री स्थायी नहीं है । यदि कोई वाणिज्य मण्डल कार्मिक संघ, अथवा केन्द्रीय श्रम संस्था लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों पर कार्य कर रही हो तो उन के द्वारा भारत सरकार के बोर्डों के लिए प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में हमें भयभीत नहीं होना चाहिये । इसलिये माननीय मंत्री से मेरी हार्दिक अपील है कि वे मेरे मित्र श्री मात्तन और श्री अशोक मेहता के सुझाव को स्वीकार करें और इन बोर्डों में और अधिक नौकरशाही पैदा न की जाये । इन बोर्डों में नाम निर्दिष्ट अंश तो पहले भी है । अपनी पसन्द के ऐसे व्यक्तियों को लेने की बजाय जो सदा ही मंत्री की हां में हां मिलायेंगे ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिये जो उद्योग का वास्तविक हित चाहते हों और जो उद्योग सम्बन्धी पूरी जानकारी दे सकें । प्रतिनिधि होने के नाते वे बहुमत के हितों का ध्यान भी रखेंगे ।

मैं पुनः माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस सुझाव पर विचार करें और मुझे आशा है कि वे वर्तमान उपबन्ध में इतने अधिक परिवर्तन करने की बजाय उसे पुनः रख लेंगे ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि बोर्ड की रचना वर्तमान ढंग से भिन्न किसी ढंग से की जाये । इस में लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था की आवश्यकता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं भी ऐसे बोर्ड की रचना में लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाने का समर्थन करता हूं । अन्य उद्योग अर्थात् चाय अथवा रबड़ की अपेक्षा काफी के सम्बन्ध में उत्पादकों को प्रतिनिधित्व का अधिकार देना और भी अधिक आवश्यक है । क्योंकि यहां उत्पादकों की सारी उत्पादन सामग्री ले ली जाती है । अतः स्वाभावतः वे यह आशा करते हैं कि उस सामग्री के निबटारे के सम्बन्ध में तथा उस के मूल्य निर्धारण में उन्हें भी कुछ कहने का अधिकार होगा । ऐसी स्थिति में प्रभावित हितों की यह मांग न्यायोचित भी है ।

प्रवर समिति से मेरा यह अनुरोध है कि वे बोर्ड की रचना का ऐसा ढंग बनायें कि इस में काफी उद्योग में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हो । बोर्ड की वर्तमान रचना के अनुसार हम देखते हैं कि बोर्ड में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बहुत संख्या होती है और मैं यह भी कहूंगा कि बोर्ड के विचार-विनिमय में प्रायः उन का बहुमत होता है । ऐसी स्थिति में यह कहना व्यर्थ है कि बोर्ड पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक अच्छे नियंत्रण के हेतु उस में केन्द्र के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भरने चाहियें ।

जैसा श्री बंसल ने बताया है इस विधेयक में राज्यों को भी नामनिर्देशन का अधिकार दिया गया है परन्तु इस बात का उपबन्ध नहीं किया गया कि राज्य सरकारें ये नामनिर्देशन किस प्रकार करेंगी ।

इस विधान में बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में जो एक परिवर्तन धारा ४ की उपधारा (२) (११) द्वारा किया गया है, हम इस का स्वागत करते हैं । उस में यह उपबन्ध किया गया है कि उपभोक्ताओं के प्रतिनिधित्व के लिये केन्द्रीय सरकार दो व्यक्तियों का नामनिर्देशन करे । मैं इस उपबन्ध का समर्थन करता हूं ।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि कमजोर आर्थिक स्थिति के छोटे काफी बागान की सहायता के लिये अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने कहा है कि विधेयक में तो छोटे उत्पादकों के हितार्थ कोई उपबन्ध नहीं है । मेरा मत उन से भिन्न हैं और मैं उन का ध्यान खण्ड १७ के उपखण्ड (ग) की ओर दिलाता हूं ।

श्री अशोक मेहता ने यह भी कहा है कि छोटे उत्पादकों की सहायता के लिये सहकारी संस्थायें बनाई जानी चाहियें । मेरा निवेदन है कि यह उपबन्ध उसी दिशा की ओर ले जा रहा है । अन्य उद्योगों के विकास के लिये जो अनुदान दिये जाते हैं वे व्यक्तियों को नहीं दिये जाते वरन् सहकारी संस्थाओं को दिये जाते हैं । अतः यह पग ठीक दिशा की ओर ही बढ़ाया गया है ।

अन्त में अधिक समय न लेते हुए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि काफी बोर्ड के निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास पहले ही अनन्य शक्ति है । सरकार

[श्री ए० एम० टामस]

ने इन अधिकारों का प्रयोग भी किया है और उसी से काफी के मूल्य गिरे हैं। इसलिये यह कहने का कोई लाभ नहीं कि बोर्ड की रचना में इसलिये परिवर्तन किया जा रहा है ताकि सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके।

प्रवर समिति को सारे विधेयक पर विचार करना चाहिये और सदन में की गई सभी आलोचनाओं पर ध्यान देना चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ऐसे रचनात्मक सुझावों के लिये जो कि इस विधेयक के सम्बन्ध में दिये गये हैं, आभारी हूं। मैं नहीं जानता कि क्या मुझे उन माननीय सदस्यों का जिन्हों ने भाषण किये थे—उन में से दो यहां नहीं हैं—उत्तर देना चाहिये। तो भी. . .

श्री अच्युतन (मैसूर) : सदन उत्तर सुनना चाहता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अवश्य। श्रीमान्, मुख्य आक्षेप यह था कि वर्तमान बोर्ड बहुत सन्तोषजनक है तथा जिस ढंग से इस की स्थापना हुई थी वह भी सन्तोषजनक था। मैं इस विषय पर वादप्रतिवाद करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह आक्षेप किया था कि मैं कुछ पूर्ण रूप से सन्तोषजनक संगठनों में हस्तक्षेप कर रहा हूं उन्हों ने ऐसा वर्तमान बोर्ड के विधान को देखे बिना ही किया है। वर्तमान बोर्ड में बागान मालिकों के जो प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, मैं उन के नाम पढ़ूंगा। मैसूर सरकार ने मैसूर काफी उगाने के उद्योग के तीन प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन किया है —इस में कोई निर्वाचन नहीं होता है। उन के नाम हैं —श्री एम० एस० गौडा, श्री टी० सी० मंजप्पा सेटी तथा श्री ए० लिडलटन। ये सब बड़े बड़े बागानों के मालिक हैं। दक्षिण भारत की संगठित बागान मालिक संस्था ने तीन व्यक्तियों का नाम निर्देशन किया है, श्री हम्फ्रेज़, श्री आइवर बुल तथा श्री हीमवुड, श्री आईवरवुड ने त्यागपत्र दे दिया है तथा अन्य व्यक्ति उन के स्थान पर आ गया है। डब्लू०सी०जे०एच० स्प्रोट कुर्ग बागान मालिक संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय बागान मालिक संस्था (कुर्ग) ने श्री जी०एन० मंजनाथय्या को भेजा है। मुझे बताया गया है कि वे एक बड़े बागान मालिक हैं। मैसूर बागान मालिक संस्था का श्री आर० रैडक्लिक, भारतीय बागान-मालिक संस्था (मैसूर) का श्री एस० एन० रमना प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री रमना के और भी बहुत से व्यवसाय हैं। वे कोई बड़े बागान मालिक नहीं हैं अपितु माध्यम कोटि के हैं। श्री एन० बी० अथरे नीलगिरी व नीलगिरी व्यानाद बागान-मालिक संस्था का, तथा श्री एम० ए० धर्मराज आईयर मलाबार व्यानाद काफी-उत्पादक संस्था का प्रतिनिधत्व करते हैं। मैं समझता हूं कि श्री आईयर काफी बड़े बागान-मालिक हैं। शेवराम बागान मालिक संस्था ने श्री हटन को भेजा था और पलनी-बांडी-सिरुमलई काफी उत्पादक संस्था का प्रतिनिधित्व श्री डब्लू० पी० ए० सौन्द्रापनदियन किया करते थे—जो इस क्षेत्र में सब से अधिक समृद्ध व्यक्तियों में से एक हैं जहां तक बागान मालिकों का सम्बन्ध है, बोर्ड के वर्तमान सदस्य ये हैं, —कुल १४ सदस्य। फिर, छोटे छोटे बागान मालिक कहां है ? मैं नहीं जानता। तथ्यों का पता लगाये बिना भी माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है। यह उन का अधिकार है और उसे सुनना तथा उस का उत्तर देना मेरा भाग्य है।

श्री अशोक मेहता ने अपने प्रथम भाषण में एक बात कही थी। जब माननीय सदस्य आये तो मेरा विचार था कि वह कोई नई बात कहेंगे। परन्तु यह ध्यान आकर्षित

करने का प्राथमिक बोल था। उन्हों ने उसी को दोहराया जो मेरे माननीय मित्र श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने कहा था—कि यह एक रबर-मुहर बोर्ड होगी। यहां तक कि उन्हों ने सरकार के इस ढ़कोसले को नाम देने में भी कोई नवीनता प्रकट नहीं की, जो ढ़कोसला एक जटिल व्यवस्था होगा तथा जो काफी उद्योग का नाश कर देगा यदि उन्हें चाय बोर्ड में सरकार के कार्य का साधारण ज्ञान है बुरे नाम का जैसा कि यह उन की दृष्टि में हो सकता है—तो मैं उन्हें यह बता दूं कि हम ने बहुत से उद्योगों के लिये एक उपबन्ध किया है कि वे नाम भेजें। चाय बोर्ड में उपभोक्ता नाम निर्देशन के अतिरिक्त जो सरकार करती है, कोई नाम निर्देशन नहीं है। नाम भेंजे गये थे तथा नामों में से चुनाव किया गया था। पिछली बार जब मैंने वक्तव्य दिया था मैंने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था। खण्ड २१ (२) के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्यों के नाम निर्देशन को नियमित करने वाले सिद्धान्तों का निर्देश किया जाता है। यदि प्रवर समिति चाहे तो सिद्धान्तों को अधिक विस्तृत बना सकती है। परन्तु यह वह सिद्धान्त है जिस का पालन किया जा रहा है। मैं यह भी कह सकता हूं कि नाम निर्देशन का अधिकार मैं अपने पास नहीं रख रहा हूं। मैसूर के काफी उत्पादक उद्योग के मामले में, मैसूर सरकार ने तीन प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन किया है। नामनिर्देशन के लिये हम राज्य सरकारों से कहेंगे। नियम बनाने के अधिकार को विस्तृत बनाने की दृष्टि से यदि प्रवर समिति कोई निदेश प्रस्तुत करती है तो हम उन्हें निश्चय ही वह निदेश देंगे। हम उन्हें यह निदेश देंगे कि उन्हें विभिन्न संस्थाओं की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता का यह कहना भी ठीक न था कि यदि मजदूर प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन करने में भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक कांग्रेस की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति न होगी। वास्तव में काफी बोर्ड के लिये मजदूर प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन करने में केवल भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक कांग्रेस की सिफारिशों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, अपितु यह प्रस्ताव है कि उस क्षेत्र में काम करने वाले सारे संगठित मजदूर संघों की सिफारिशों पर विचार किया जाय। मैं विनम्रतापूर्ण कह सकता हूं कि उन का प्रथम भाषण वक्तृत्व की दृष्टि से भले ही भावोत्पादक रहा हो, परन्तु इस के विषय के बारे में मैं समझता हूं कि मुझे कोई विस्तृत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इस का कारण यह है कि भाषण अज्ञानता की पृष्ठभूमि पर किया गया था तथा स्वाभाविक रूप में यह विषय से भिन्न हो गया था।

श्री पुन्नूस ने हम पर वही पुराने आक्षेप किये थे परन्तु उन्हों ने अपना मुख्य आक्षेप काफी के सम्बन्ध में मजदूर संघों की अमान्यता के विषय पर किया था।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : और पुराने आक्षेपों का पुराना उत्तर।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब कोई पुराने स्थान का रहने वाला होता है, तो पुराने आक्षेप किये जाते हैं तथा पुराने उत्तर दिये जाते हैं। यदि मेरे माननीय मित्र जो उसी जाति के हैं जिस का मैं हूं, उन का उसी ढंग से पालन पोषण हुआ है, उन्हें उसी भद्दे ढंग में शिक्षा मिली है और कोई नई बात नहीं कह सकते तो मैं भी कोई नई बात नहीं कर सकता हूं। यदि वहां ही अपूर्वता की कोई कमी है, तो यहां भी अपूर्वता की कमी है। यहां कोई नई बात नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : काफी पीना उन के लिये अपूर्व बात है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मेरे माननीय मित्र श्री केलप्पन काफी पीना

आरम्भ कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में वह कुछ अपूर्व बात कहेंगे। मजदूर-संघों के विषय में जहां तक काफी-गृहों का सम्बन्ध है, मैं नहीं मानता कि जो वेतन दिये जाते हैं वे बहुत थोड़े हैं। मैं यह मानता हूं कि समस्त परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेरी भी कुछ कठिनाइयां हैं, क्योंकि मैं यहां कोई कार्यसम्पदा करने वाला अभिकर्ता नहीं हूं। वास्तव में, मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे माननीय मित्र, श्री टामस ने, अधिनियम की धारा ४२ निकाली। यदि वह अधिनियम का सूक्ष्म परीक्षण करें--उस धारा--विशेष २४--तो उन्हें पता लगेगा कि वहां अधिकार नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि यदि बोर्ड कुछ कहे तो मैं मना कर दूं। बोर्ड यह कह सकता है कि अमुक अमुक मद के विषय में अमुक अमुक कार्य करना है। यह चाहे स्वीकार हो या न हो।

बोर्ड के काम करने में सरकार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मैं उनका कुछ विस्तृत रूप में वर्णन कर चुका हूं। हम में सहयोग अवश्य होना चाहिये। परन्तु मैं जो भी कह सकता हूं वह यह है कि समस्या को हल करने की निरोधात्मक दृष्टि से कोई सहायता नहीं मिलती है। मजदूरों के इस सहकारी संगठन के सम्बन्ध में काफी शोर किया गया था। मेरे मित्र श्री टामस ने ठीक कहा था कि हम सब सहकारी संगठनों के पक्ष में हैं। श्री टामस ने हथकरघा बुनकरों के सम्बन्ध में इस बात-विशेष का विशेष उल्लेख किया था कि मैंने सहकारी संगठन के अन्तर्गत न आने वाले किसी भी बुनकर को आर्थिक सहायता नहीं दी। मैं नहीं समझता कि छोटे छोटे कार्मिकों के मूल संगठनों तथा छोटे छोटे बगान मालिकों के बीच सहकारिता के आधार पर कार्य करने में कोई मूल मतभेद है। परन्तु, जैसा कि श्री टामस ने कहा था, हो सकता है कि वे संगठन बनायें तथा बोर्ड को सहयोग दें। जिस दिशा में भी वे हमें सहायता दें, मैं उस के लिये बहुत आभारी हूंगा। मैं इस बात के लिये सर्वथा तैयार हूं कि वे मेरा पथप्रदर्शन करें तथा मैं उन से कुछ नई बात जान लूं। मैं एक सहकारी व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में हूं। मैं भी चाहता हूं कि इन छोटे छोटे उत्पादकों का, मैसूर तथा मद्रास राज्यों में जहां छोटे छोटे तथा असंगठित बहुत से मजदूर हैं, सम्मिलित किया जाये ताकि उपकर से उन्हें कुछ सहायता दी जा सके। छोटे आदमियों की सहायता करने के उचित ढंग के रूप में श्री अशोक महता ने जो भी सुझाव दिये हैं उन के विषय में मेरा उन से कोई झगड़ा नहीं है। मैं भी मानता हूं कि सरकारी ढंग से काम करना अच्छा है, तथा अन्य लोगों से मैं जो भी सहायता प्राप्त कर सकता हूं, उस के लिये मैं आभारी हूंगा।

श्री गुरुपादस्वामी ने व्यय लेखा का निर्देश किया था। अब तक की गई तीन जांच पड़तालों को मैं ने पढ़ा था : प्रथम कुक्स जांच पड़ताल थी, फिर दूसरी जांच पड़ताल हुई, और अन्तिम वह जो मैं ने आरम्भ की थी। मेरी समझ में नहीं आता कि जांच पड़ताल के विशिष्ट ढंग में क्यों परिवर्तन कर दिया जाये। वास्तव में घटना यह हुई थी कि विचाराधीन व्यय-लेखक द्वारा एक माननीय त्रुटि हो गई थी, क्योंकि अपनी जांच पड़ताल के उद्देश्य से उस ने क्रय-विक्रय समिति के आंकड़ों को स्वीकार कर लिया था। जिन बगानों को क्रय-विक्रय समिति ने ले लिया था, उस ने उन्हीं की जांच पड़ताल की। उस ने नये बगानों की जांच नहीं की। मैं ने कोई निदेश नहीं दिये थे। उस से जाने तथा क्रय-विक्रय समिति से परामर्श करने के लिये कहा गया था। वास्तविक प्रतिवेदन

से मुझे विदित होता है कि वह केवल उन्हीं बगानों में गया था जिस के परिणामस्वरूप जो निष्कर्ष निकले वे एक से ही थे। मैं नहीं समझता कि प्रशुल्क आयोग उत्पादकों के इशारों पर नाचने के लिये है। भूतपूर्व सभापति चाहते हैं कि प्रशुल्क आयोग इन मामलों की जांच करें। मैं प्रशुल्क आयोग से जिस के पास पहले ही अधिक काम है, इस मामले की जांच करने के लिये, जिस के लिये कोई कारण नहीं है, तथा जिस प्रकार के कार्य के वे आदी नहीं हैं, कैसे कह सकता हूं।

अधिकतर आलोचना यह थी : बोर्ड को नौकरशाही बनाना, अधिकार की प्राप्ति, आदि मैं मानता हूं कि हम ने संविधित सरकारों द्वारा उन भागों में से चुनाव किये जाने के लिये जो उन्हें प्रस्तुत किये गये हैं, पर्याप्त उपबन्ध बनाये हैं। प्रवर समिति जिस किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में जो भी परिवर्तन करने का सुझाव देगी, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं ने एक महत्वपूर्ण उपबन्ध बनाया है। मैं ने बोर्ड में भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया है। पहिले, भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि थे जिन का दूसरों से मत मांगने में भी निश्चयात्मक मत होता था। परन्तु हमारा विचार बोर्ड में एक या दो अधिकारी विशेषज्ञ भेजने का है, जो वाद-विवादों में, भाग लेंगे, उन का पथ प्रदर्शन करेंगे तथा भारत सरकार को उन के मत बतायेंगे। परन्तु वे मतदान में भाग नहीं लेंगे। सरकार के लिये यह बहुत ही परेशान करने वाली परिस्थिति है ....

श्री केलप्पन : परन्तु सारे प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन सरकारें ही करती हैं।

कठिनाई वैसी ही है, जैसे पूरी रामायण सुनने के बाद कोई पूछे कि सीता राम की कौन थी। मैं शुरू से अपने मित्रों को बता रहा हूं कि बोर्ड के सदस्य उस रूप में नामनिर्देशित होने नहीं जा रहे हैं, जैसा वे समझ रहे हैं। सरकार का एक सदस्य विशेष पैनेल (तालिका) में रहेगा। यदि कोई सदस्य अनुपयुक्त है, तो कारणों समेत यह बात लिखी रहेगी। वे तालिका से अधिक आगे न जा सकेंगे। मैंने इस बात पर स्पष्ट विचार कर लिया है।

जहां तक श्रम का सम्बन्ध है, हम मज़दूर संघों द्वारा भेजी गई तालिका में से एक सदस्य चुनने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्षतः सरकार इस के आड़े न आ सकेगी।

श्री ए० एम० टामस : त्रावनकोर-कोचीन के किसानों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुज्ञप्ति-प्राप्त २,८०,००० एकड़ में से २,३८,००० एकड़ में ही काफी लगाई जाती है। त्रावनकोर-कोचीन में ऐसी जमीन १०२२ एकड़ ही है। जब तक सदस्यों की संख्या १०० न हो जाये, केवल १००० एकड़ में काफी लगाने वाले किसानों को मैं प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता। व्यानाड को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, और यदि त्रावनकोर कोचीन अधिक काफी उगाये, तो अधिनियम को संशोधित कर के हम उसे प्रतिनिधित्व देंगे।

मैं ने कुछ सीमा तक सभी पक्षों की बातों का उत्तर देने की चेष्टा की है। केवल आलोचना करने वाले या अप्रासंगिक बात करने वाले सुझावों को छोड़ शेष सभी सुझावों पर विचार किया जायगा और मैं उन सब के ऊपर प्रवर-समिति का ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे आशा है, प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक सदन के दोनों ओर के अधिकांश व्यक्तियों को समुचित संतोष प्रदान करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन को नियमानुकूल नहीं ठहराता। प्रश्न यह है कि :

"काफी विक्रय विस्तार अधिनियम, १९४२ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को श्री आर० वेंकटारमन, श्री सी० आर०

नरसिंहन्, श्री वीरेन्द्रनाथ कथम, श्री लाइस राम जोगेश्वर सिंह, श्री व्यंकटराव पिराजी राव पवार, श्री चंद्र शंकर भट्ट, श्री अमर सिंह साबजी डायर, श्री गोस्वामी राज सहदेव भारती, श्री बासुदेव श्रीधर किरीलिकर, श्री राघवेन्द्र राव श्री निवास राव, श्री एच० सिद्धननजप्पा, श्री एन० राचय्या, श्री के० शक्तिवाडिवेल गौंडर, श्री जार्ज टामस कौन्तुकपल्ली, श्री एन० सोमना, श्री हेमराज, श्री पी० सी० बोस, श्री नयन तारा दास, श्री भागवत झा आजाद, डा० सत्यनारायण सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री बैजनाथ कुरील, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्रीमती गंगा देवी, सेठ अचल सिंह, श्री हर प्रसाद सिंह, श्री बादशाह गुप्त, श्री के० जी० वोडयार, श्री आर० एन० सिंह, श्री के० ए० दामोदर मेनन, श्री के० अनन्दन नंबियार, श्री एम० डी० रमास्वामी, डा० डी० रामचन्द्र, श्री वाई० गाडिलिंगन गौड़, डा० इंदु भाई बी० अमीन, श्री डी० पी० करमरकर, तथा श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से बनी एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विशेष विवाह विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन विशेष विवाह विधेयक पर चर्चा करेगा । मेरे पास उन माननीय सदस्यों की सूची है, जो हिंदू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक पर और इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग ले चुके हैं । इस सत्र के आरम्भ से अब तक सदन की कार्यवाही में कुछ भी भाग न लेने वाले माननीय सदस्यों को मैं पहले स्थान दूंगा ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : और इस विधेयक के लिये कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति ने जो आठ घंटे का समय निश्चित किया था, क्या उसे माना जायेगा ?

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम ने कुछ बातों की दृष्टि में आठ घंटे निश्चित किये थे, परन्तु राज्य परिषद् द्वारा कुछ बुनियादी परिवर्तन कर देने के बाद अब स्थिति बदल गई है, और आठ घंटे में पूरी पूरी चर्चा न हो सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस सदन में कितना समय लगा था ?

श्री बिस्वास : सात दिन में आठ बैठकें अर्थात् ३२ घंटे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आठ घंटे तीनों प्रक्रमों के लिये हैं । विधेयक के वहां शुरू होने के कारण शायद वहां अधिक समय दिया गया था ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विधि मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि विधेयक में कुछ बुनियादी परिवर्तन किये गये हैं । अब चूंकि हम २१ तक बैठ रहे हैं, इसलिये इस दृष्टि से शेष समय सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा में लगाया जाए और हम खंडशः विचार अगले सत्र में करें ।

श्री बिस्वास : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । उस सदन द्वारा किये गये संशोधनों की दृष्टि से इस सदन को इस विधेयक के लिये अधिक समय चाहिये ही ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : उस सदन के अनुरोध पर जब हम ने संयुक्त प्रवर समिति को निर्देश के प्रस्ताव पर विचार किया था, तब यह मानी हुई बात थी कि उस सदन द्वारा पारित होने के बाद इसे प्रवर समिति से आया हुआ विधेयक समझते हुए इस पर चर्चा का क्षेत्र संकुचित न कर दिया जायेगा ।

उस सदन द्वारा किये गये चार संशोधन ही नहीं, बल्कि इस के मूल भूत सिद्धान्तों पर भी मेरे विचार से चर्चा हो सकती है। इस के लिये आप सभी सदस्यों को उदारतापूर्वक अवसर प्रदान करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस सदन में सदैव अपवादभूत रहे हैं। और मैं उन के लिये वैसी ही कोशिश करूंगा। संयुक्त प्रवर समिति के निर्देश-प्रस्ताव पर यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो सभी समझते थे कि विधेयक पर नये रूप में विचार हो सकेगा, और सदन उस के सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं किसी के लिये द्वार बन्द नहीं कर रहा हूं, पर यही चाहता हूं कि अब तक भाग न ले सकने वाले सदस्यों को भी अवसर मिले। बाद में यथा संभव अन्य लोगों को भी अवसर दिया जायेगा। अब हमारे पास आठ घंटे के स्थान पर १२ घंटे ४५ मिनट हैं और वह भी केवल सामान्य चर्चा के लिये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : पहले अवसर न पाने वाले लोगों को अब अवसर मिलना चाहिये। हमें विवाह में कुछ तो भाग लेना ही चाहिये ....

उपाध्यक्ष महोदय : इतने लोग भाग लेना चाहते हैं। शांति, शांति। क्या भाषणों पर समयावधि लगाई जाये ? माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

श्री बिस्वास : आधा या पौना घंटा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को ४५ मिनट, तथो अन्य माननीय सदस्यों को १५ मिनट और दलों के प्रवक्ताओं को २० मिनट मिलेंगे। मैं इस समय को माननीय सदस्यों में बांट दूंगा। विशेष मामलों में आधा घंटा तक मिल सकेगा ।

श्री बिस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कतिपय मामलों में विवाह के एक विशेष रूप का, तथा उन तथा कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन का और विवाह-विच्छेद का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर जिस रूप में वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये ।"

मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहुंगा कि यह हिन्दु संहिता का भाग नहीं है। कुछ लोगों में ऐसी भ्रांत धारणा चल रही है। यह पूरे भारत के लिये विवाह की एक एकरूप प्रादेशिक विधि बनाने की एक चेष्टामात्र है। यह बात आपके विचार करने की है कि यह विधान उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या नहीं। यदि नहीं कर सकता है, तो मैं माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि इस विधेयक को उस प्रकार का रूप देने में वे सरकार की सहायता करेंगे ।

श्रीमान्, पूरे देश के लिये एक प्रादेशिक विवाह विधि बनाने की बात नई नहीं है। हम में से बहुतों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि यह काम १८६८ में शुरू हुआ था। केशव चन्द्र सेन जैसे नेताओं ने ऐसी विधि की आवश्यकता का अनुभव किया। वह तत्कालीन वाइसराय और महाराज्यपाल से मिलने शिमला गये और उन से बात की तथा सरकार को पूरे देश के लिये ऐसे सामान्य विधान की आवश्यकता को सिद्धान्ततः स्वीकार करने के लिये विवश किया। बाद में इसके फलस्वरूप विशेष विवाह विधेयक, १८७२ का अधिनियम ३ पारित हुआ। यह मानना गलत होगा कि यह अधिनियम केवल ब्रह्म समाज के लाभ के ही लिये बनाया गया था। निःसन्देह ब्रह्म समाजी इस से मुख्यतः संबंधित थे, और उस समाज वालों ने इस से लाभ भी उठाया है ।

सन् १८७२ के मूल अधिनियम में सम्मिलित किये गये उपबन्धों को समझने के लिये यह अच्छा होगा कि मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करूं। जैसा आप सब जानते हैं, आदि ब्रह्म

समाज राजा राम मोहन राय द्वारा चलाये गये मूल ब्राह्म मत का था। इस के लगभग ५० वर्ष बाद ब्राह्मों का प्रगतिशील सम्प्रदाय बना जिस के नेता केशव चन्द्र सेन थे। आदि ब्रह्म समाज तथा प्रगतिशील सम्प्रदाय दोनों की विवाह-विधि हिन्दु विधि थी, किन्तु विवाह की पद्धति में अन्तर था। आदि समाज वाले पुरानी परिपाटी की चीज़ें करते थे, जब कि प्रगतिशीलवादियों ने इन्हें त्याग कर एक नई रीति अपनाई जिस में मुख्यत: परस्पर वचन दिया जाता था और कुछ प्रार्थनायें होती थीं। प्रश्न यह उठा कि यह नवीन विवाह-पद्धति कहां तक कानून जायज़ है। इस के पक्ष में 'प्रथा' का उद्धरण नहीं दिया जा सकता था क्योंकि इस सम्प्रदाय को चालू हुए अधिक दिन नहीं हुए थे। तो प्रगतिशीलवादियों द्वारा विवाहों में अपनाई गई पद्धति की वैधता के सम्बन्ध में शंकायें उठायी गयीं और उन्हों ने स्वयं ही यह मामला कानूनी राय के लिये महाअधिवक्ता श्री कोवी को निर्दिष्ट कर दिया। उन की राय ऐसे विवाहों की वैधता के विरुद्ध थी। इस पर प्रश्न उठा कि क्या किया जाय। सन् १८६८ में श्री केशव चन्द्र सेन ने सम्प्रदाय के कुछ अन्य नेताओं के साथ, विवाह की सामान्य प्रादेशिक विधि के विचार का सृजन किया। और तब प्रगतिशील ब्राह्मों के लिये यह अनिवार्य हो गया कि ऐसा विधान हो जिस के अन्तर्गत कि उन की नवीन विवाह पद्धति वैध रहे। उन्हों ने विधान-मण्डल से इस सम्बन्ध में एक विशेष अधिनियम बनाने की योजना की जिस के परिणामस्वरूप सन् १८७२ का तीसरा अधिनियम बना।

आदि ब्राह्मों ने यह नहीं माना कि वे हिन्दु नहीं हैं, यद्यपि कुछ मामलों में विवाह की रूढ़ परिपाटी से हट गये थे; सारूप में उन्हों ने उसे स्वीकार कर लिया था। आदि ब्राह्मणों ने हिन्दू होने का दावा किया जब कि प्रगतिशील ब्राह्मणों का दृष्टिकोण भिन्न था। इस लिये विशेष विवाह अधिनियम में विवाह की ऐसी पद्धति अधिनियमित की गई जो उन लोगों पर लागू होती थी जो हिन्दू नहीं थे। इस के उपबन्धों का लाभ अधिकता बंगाल में ब्रह्म समाज के लोगों द्वारा उठाया गया। उस अधिनियम में यह उपबन्धित कर दिया गया था कि उस के अन्तर्गत विवाह सम्पन्न करने वाले पक्षों को यह लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा कि उनमें से कोई भी उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट धर्मों की विधियों से अनुशासित नहीं होते। यह उपबन्ध इस प्रकार था :

"इस अधिनियम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के मध्य विवाह हो सकते हैं जो ईसाई अथवा यहूदी अथवा हिन्दू अथवा मुस्लिम अथवा पारसी अथवा बुद्ध अथवा सिख अथवा जैन धर्मों के अनुयाई न हों।"

तब उन से एक फार्म पर यह घोषणा भरवाई जाती थी कि वे इन में से किसी धर्म के अनुयाई नहीं हैं। परिणाम यह हुआ कि अनेक पक्षों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह किये और यह घोषणा की कि वे हिन्दू नहीं हैं, किन्तु जब उत्तराधिकार का प्रश्न उठा तो जिन पक्षों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह किये थे वे यह कहने को तैयार नहीं हुए कि वे हिन्दू नहीं हैं, क्योंकि उत्तराधिकार के लिये वे हिन्दू विधि का लाभ उठाना चाहते थे।

अनेक मामलों में यह प्रश्न उठा और प्रिवी काउंसिल को अपना निर्णय देना पड़ा। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि महज़ रूढ़ विवाह से अन्यथा पद्धति से विवाह करने पर हिन्दू गैर-हिन्दू नहीं बन जाता। फिर, इस प्रकार के मामले थे जिन में यह कहा गया

कि १८७२ के अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली घोषणा केवल विवाह के प्रयोजन के लिये थी और अन्य प्रयोजनों के लिये उन के हिन्दू या गैर हिन्दू होने का प्रश्न नहीं उठता। अतएव ऐसे मामलों के सम्बन्ध में स्थिति ठीक की गई। किन्तु अनेक नेताओं ने सोचा कि न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर रहने के बजाय, जो कि एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं और इस प्रकार एक अनिश्चित स्थिति पैदा कर सकते हैं, सर्वोत्तम मार्ग यह होगा कि विधान में संशोधन कर दिया जाये और इस विधान को लाने का श्रेय दिवंगत श्री हरी सिंह गौर को जाता है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

उन्हों ने अपने संशोधन में ५ शब्द जोड़े :

"अथवा, निम्नलिखित शर्तों पर, ऐसे व्यक्तियों के मध्य जो निम्नलिखित में कि किसी भी धर्म के अनुयायी हैं : हिन्दू, बुद्ध, सिख, अथवा जैन ।"

इस प्रकार यह उपबंध कर दिया गया कि यदि कोई भी पक्ष इन निर्दिष्ट धर्मों में से किसी का अनुयायी है तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विवाह सम्पन्न किया जा सकता है। निर्दिष्ट धर्म हैं, हिन्दू, बुद्ध, सिख या ईसाई, यहूदी, मुस्लिम तथा पारसी धर्मों को इस में सम्मिलित नहीं किया गया है। मूल अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किन्हीं भी धर्मों के अनुयायी इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह नहीं कर सकते थे। किन्तु उपरोक्त प्रथम चारों धर्मों पर से यह बन्धन हटा लिया गया। कारण यह था कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जो मुख्य अधिकार मिलते थे वे एक विवाह तथा तलाक सम्बन्धी थे जिन धर्मों को सम्मिलित नहीं किया गया उन में एक विवाह तथा तलाक अनुमत हैं। मुसलमानों में तलाक का अधिकार है, यद्यपि एक विवाह का बन्धन नहीं है। रोमन कैथोलिकों को छोड़ कर ईसाइयों में दोनों चीज़ें हैं। सर हरीसिंह ने इन धर्मों को इसलिये सम्मिलित नहीं किया कि उन के संशोधन द्वारा जो अपेक्षा की गई थी वह चीज़ इन धर्मों में सामान्यतः मौजूद ही थी।

अब प्रश्न उठता है कि जो विधेयक हमारे सम्मुख मौजूद है वह मूल अधिनियम से किन बातों में भिन्न है। दूसरे सदन में मुझ से पूछा गया कि सर हरी सिंह गौर की तरह मैंने भी १८७२ के अधिनियम को संशोधित करते हुए इस आशय का एक छोटा संशोधक विधेयक ही प्रस्तुत क्यों नहीं कर दिया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी धर्म के अनपेक्ष एक दूसरे से विवाह किया जा सकता है—हिन्दू मुसलमान से मुसलमान ईसाई से विवाह कर सकते हैं। मुझे प्रश्न पूछा गया कि क्या इस प्रकार का एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करना काफी नहीं रहेगा।

जिस रूप में मैं ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया, जिस रूप में प्रवर समिति से वह परिवर्तित हुआ तथा जिस रूप में राज्य परिषद् ने इसे पारित किया, इन रूपों की तुलना करने पर मैं ने संकलित विधि बनाने का जो कदम उठाया है उसका पूर्ण समर्थन होता है। विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैं ने उसके साथ जो खंडवार टिप्पणियां जोड़ी थीं उनमें आप देखेंगे कि मैं ने विशेष विवाह अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों की लम्बी सूची दी थी। मैं ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। मैं ने उन उपबन्धों को ज्यों के त्यों रखा था किन्तु उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया था। मूल अधिनियम १८७२ में बना था। उसके बाद काफी समय गुज़र चुका है, और इस लिये मैं यह जानना चाहता था कि वधु और वरों के धर्म सम्बन्धी मूल परिवर्तन के अतिरिक्त जनता इन उपबन्धों में और भी कौन कौन

से परिवर्तन चाहती है । हमें जो रायें प्राप्त हुई हैं उनसे मेरी कार्यवाही का समर्थन होना है । १८७२ के अधिनियम के जो उपबन्ध विधेयक में ज्यों के त्यों रखे गये थे उनके बारे में कतिपय संशोधन तथा परिवर्तन सुझाये गये हैं । संयुक्त प्रवर समिति को भी इसमें चाहे जो परिवर्तन करने का अवसर मिला क्योंकि विधेयक किसी एक बात से सम्बद्ध नहीं था । इस रूप में सारे अधिनियम पर चर्चा की जा सकती थी और उस में चाहे जो परिवर्तन किये जा सकते थे । प्रवर समिति ने इस अवसर से लाभ उठाकर मौलिक परिवर्तन किये हैं ।

उदाहरण के तौर पर विवाह-विच्छेद का प्रश्न लीजिये । मूल अधिनियम में केवल इतना ही कहा गया था कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे । किन्तु स्वयं वह अधिनियम बहुत पुराना है । वह अब भी यहां के ईसाइयों पर लागू होता है । किन्तु वे इससे सन्तुष्ट नहीं हैं । बदलते समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किये जाने चाहियें । इस पर हम विचार कर रहे हैं । किन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने इसी अधिनियम में विवाह-विच्छेद के बारे में स्वयं पूर्ण उपबन्ध कर लिया है ।

सब से क्रांतिकारी परिवर्तन तो राज्य परिषद् ने किया है । यदि सारा अधिनियम उन के सामने नहीं होता तो वे यह चीज़ नहीं कर पाते ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस विधेयक ने केवल संसद् सदस्यों में ही नहीं अपितु समाज के समस्त स्तरों में हलचल तथा रुचि उत्पन्न की है । इसका विरोध भी हुआ है । किन्तु अधिकतर इस विधान के उद्देश्य तथा व्यापकता की प्रशंसा ही की गई है । राज्य परिषद में भी कोशिश इस बात की की गई कि संशोधन इस प्रकार किये जायें कि लोगों को इस विधान के अधीन विवाह करने में प्रोत्साहन तथा सुविधायें प्राप्त हों । जो उपबंध इसमें बाधक माने गये उन्हें हटाने की मांग की गई ।

यह एक अनुमानिक विधान है । एक क्रम यह फैला हुआ है कि हिन्दुओं को केवल इसी विधि के अनुसार विवाह करना होगा और इसी कारण से इसका विरोध भी किया जा रहा है ।

और भी एक प्रश्न उठाया गया था । हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक में, जो पहली ही से सदन के सामने प्रस्तुत है, एक विवाह तथा विवाह-विच्छेद का उपबन्ध किया गया है । फिर हिन्दुओं के लिये इस पृथक् विधि की क्या आवश्यकता है ? लेकिन वैयक्तिक विधि के होने पर सामान्य विधि की आवश्यकता नष्ट नहीं हो जाती । क्योंकि वधु-वरों में से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसी सुविधायें न हों । आखिर यह एक अनुमानिक विधान ही तो है ।

अब मैं इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का विशेष निर्देश करूंगा । पहली बात तो यह है कि इस विधि के अधीन विवाह करने वाले वधुवरों को अपने धर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

इस विधान के उपबन्धों के अनुसार भारत में निवास करने वाले कोई भी दो व्यक्ति आपस में विवाह कर सकेंगे तथा इस प्रकार विवाह करने वालों के लिये यह विधान अनिवार्यतः लागू होगा ।

१८७२ के अधिनियम के अनुसार विभिन्न धर्मों के लोग परस्पर एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे जब तक कि वे अपना धर्म त्यागने के लिये तय्यार न हों अर्थात् यदि वे हिन्दू हों तो दोनों को हिन्दू

होना चाहिये, यदि सिख हों तो दोनों को सिख होना चाहिये, यदि जैन हों तो दोनों जैन होना चाहिये तभी वे १८७२ के अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर सकते थे। परन्तु इस विधेयक में यह कठिनाई दूर कर दी गई है। अब धार्मिक भेदभाव विवाह को नहीं रोक सकता है।

इस विधेयक का भारत के वे नागरिक भी लाभ उठा सकेंगे जो विदेशों में निवास करते हों। भारत के भीतर रहते हुये कोई भी दो व्यक्ति परस्पर विवाह कर सकते हैं वे भारत के नागरिक हों या न हों। यदि वे भारत के नागरिक हैं और पाकिस्तान में हैं तो भी उनको इस विधेयक के अनुसार विवाह करने का अधिकार होगा।

यह प्रश्न दूसरे सदन में भी उठाया गया था कि यदि वे भारत के नागरिक न हों तो क्या होगा। यह एक अलग प्रश्न है जिसके लिये इंगलैंड के वैदेशिक विवाह पंजीयन अधिनियम जैसा एक विशेष विधान बनाया जायेगा। सरकार उस पर भी विचार कर रही है।

इस विधेयक की एक और विशेषता विवाहों का पंजीयन है। इस सम्बन्ध में उपबन्ध है कि उन विवाहों का भी पंजीयन हो सकेगा जो अन्य रीतियों से किये गये हों। इस पंजीयन का प्रभाव ऐसा ही होगा जैसा कि वह विवाह उस रीति विशेष के अनुसार न होकर इसी विधेयक के अनुसार किया गया हो तथा इस विधि से होने वाले सारे लाभ प्राप्त किये जा सकेंगे।

विस्तार में जाने पर इस में और भी बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहले सोचा यह गया था कि यदि यह मान लिया जाये कि जब पहला विवाह हुआ था तो उस समय भी यही विधान लागू था तब ध्यान केवल इसी बात पर देना होगा कि क्या यह विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जा सकता था। यदि ऐसा विवाह इस विधान के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता था तो इस पहले किये हुये विवाह का पंजीयन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकेगा। इस प्रकार इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभाव भूत लक्षी हो जायगा। यदि पहले किया हुआ विवाह अमान्य हो तो क्या होगा ? क्या केवल पंजीयन करने से यह दोष दूर हो जायेगा ?

हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में सगे सम्बन्धियों में ऐसे विवाह होते हैं जो देश के और स्थानों में नियम विरुद्ध समझे जायेंगे, जैसे मद्रास में एक पुरुष अपनी बहन की पुत्री से विवाह कर सकता है परन्तु ऐसा विवाह ही देश के अन्य भागों में प्रतिषिद्ध श्रेणियों के अन्तर्गत समझा जायेगा तथा शून्य एवं अमान्य समझा जायेगा। इस विधेयक में भी हमने इसका उपबन्ध किया है। इसमें हमने एक सामान्य पाबन्दी तो रखी है कि विवाह करने वाले दोनों पक्ष परस्पर प्रतिषिद्ध श्रेणियों के भीतर एक दूसरे के सम्बन्धी न हों परन्तु हम ने इन श्रेणियों की परिभाषा नहीं की है जैसे एक दूसरे के सपिण्ड न हों अथवा पिता की ओर, तथा माता की ओर, इतनी पीढ़ियों के भीतर एक दूसरे के सम्बन्धी न हों। संयुक्त प्रवर समिति के परामर्श के अनुसार हमने ऐसे सम्बन्धियों की एक तालिका बना दी है जिनका परस्पर सम्बन्धित होना विवाह के लिये वर्जित समझा जायेगा।

इन तालिकाओं को तय्यार करते समय विभिन्न रूढ़ियों की असमानताओं का कोई विचार नहीं किया गया था। सुजनन विद्या (इयूजेनिक्स) के आधार पर दो तालिकायें तय्यार की गईं एक स्त्री के लिये तथा एक पुरुष के लिये। रूढ़ियों के भेदों का विचार किया जाता तो यह तालिकायें या तो बहुत

बढ़ा दी जातीं या बहुत छोटी कर दी जातीं। हमने विचार किया कि चूंकि सारे भारत के लिये यह एक सामान्य विधान है इस लिये इसमें विभिन्न रूढ़ियों को स्थान नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई अपनी रूढ़ियों के अनुसार विवाह करना चाहता है तो उसके लिये कोई रुकावट नहीं है। इस विधान में, जो बिना किसी जाति, सम्प्रदाय तथा धर्म का विचार किये तय्यार किया गया है, किसी की रूढ़ियों का विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह समान रूप से सभी देशवासियों के लिये तय्यार किया गया है। एक स्थान की रूढ़ियों का ध्यान रखने पर दूसरे स्थानों की रूढ़ियों का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता। इस प्रश्न पर विचार करते समय संयुक्त प्रवर समिति ने सोचा कि पहले किये हुये विवाहों का इस विधान के अन्तर्गत पंजीयन करने में विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों का कुछ विचार अवश्य किया जाना चाहिये। इसीलिये खण्ड १५ में उन्होंने एक संशोधन कर दिया। मूल खण्ड में कहा गया था कि दोनों पक्ष प्रतिषिद्ध श्रेणियों के भीतर एक दूसरे के सम्बन्धी न हों। परन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने संशोधन करके इतना और बढ़ा दिया कि "सिवाय उस दशा के जब कि, विधियां विधि के समान प्रभावी रूढ़ियों या प्रथाओं के अनुसार, जो उन पर लागू हों, उन का आपस में विवाह हो सकता हो।" यह अपवाद उन विवाहों पर लागू न होगा जो प्रथम बार इस नियम के अन्तर्गत किये गये हों वरन् उन विवाहों के लिये बनाया गया है जो किसी अन्य विधि के अन्तर्गत पहले किये जा चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई विवाह पहले रूढ़ि के अनुसार किया गया था तो इस अधिनियम के अन्तर्गत उस का भी पंजीयन किया जा सकेगा। इस सदन को इन्ही प्रश्नों का निर्णय करना होगा। पहले किये हुये विवाहों का पंजीयन इस विधेयक की एक विशेषता है।

पहले से किये गये विवाह का, इस विधान के अन्तर्गत, पंजीयन कराने का अधिकार केवल उन्हीं को प्राप्त होगा जिन के परस्पर विवाह हो जाने की कोई रस्म पूरी की गई हो तथा जो उस समय से बराबर पति पत्नी के रूप में रहते रहे हों। उस समय यह प्रश्न विशेष रूप से उठाया गया था कि क्या इसमें वे विवाह भी सम्मिलित हैं जिनके मान्य होने या न होने के सम्बन्ध में संदेह किया जाता हो। क्या अमान्य तथा संदिग्ध मान्यता वाले विवाह पंजीयन के द्वारा मान्य बना दिये जायेंगे? सदन को इस प्रश्न पर विचार करना होगा।

१८७२ के अधिनियम ने भारतीय सम्बन्ध विच्छेद अधिनियम को प्रयोज्य बना दिया था। जहां तक इस विधान के अंतर्गत सम्बन्ध विच्छेद का प्रश्न है संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ उपबन्ध बनाये हैं जिन में सम्बन्ध बिच्छेद का सारा विषय आ गया है।

जैसा कि मैं ने कहा था कि विवाह-विच्छेद अधिनियम अब पुराना हो गया है और अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किये जायें। उदाहरण के लिये इंगलैंड को ही लेते हैं वहां अभी हाल ही में सन् १९५० में विवाह-विच्छेद अधिनियम पारित हुआ है।

महत्वपूर्ण बातें यह हैं। सर्वप्रथम, एक विवाह प्रथा जिसका उल्लेख म ऊपर कर चुका हूं। फिर विवाह-विच्छेद, पंजीयन और फिर धर्म सम्बन्धी सभी विचारों का दूर करना। इसके उपरान्त मैं समझता हूं कि राज्य परिषद् ने इस विधेयक में जो चार महत्वपूण परिवर्तन किये हैं उसके बारे मे

सदन का ध्यान आकर्षित करना अच्छा होगा। सर्वप्रथम तो युवक और युवतियों के विवाह करने की अवस्था बढ़ाकर २१ वर्ष कर दी गई है। विधेयक के खंड ४ में एक यह उपबन्ध था कि दोनों की अवस्था तो १८ वर्ष हो चकी हो किन्तु किसी की अवस्था न २१ वर्ष हुई हो और उन्हें विवाह के लिये अपने पिता या अभिभावक की आज्ञा मिल गई हो। संयुक्त प्रवर समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उसने लड़का तथा लड़की दोनों के लिये अवस्था बढ़ाकर २१ वर्ष कर दी। २१ वर्ष अवस्था कर देने से अभिभावक की स्वीकृति या आज्ञा का प्रश्न नहीं आता। क्योंकि उस समय वे वयस्क हो जायेंगे और आज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। आज्ञा का प्रश्न तो तभी उठता था जब कि लड़का और लड़की २१ वर्ष के नहीं थे किन्तु उन्होंने १८ वर्ष की अवस्था पूरी कर ली थी। मूल विधेयक में १८ वर्ष की अवस्था रखी गई थी। उसका कारण यह था कि सामान्य वयस्क प्रयोजनों के लिये भारतीय वयस्क अधिनियम में वयस्क होने की अवस्था १८ वर्ष रखी गई थी।

वर्तमान भारतीय वयस्क अधिनियम में वयस्कता प्राप्त करने की आय १८ वर्ष बताई है किन्तु विवाह तथा अन्य बातों के लिये यह अधिनियम नहीं लागू होता। किन्तु अवस्था.....

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): जहां तक मुझे मालूम है संयुक्त प्रवर समिति ने लड़की की अवस्था बढ़ाकर १८ वर्ष की है न कि २१ वर्ष जब कि लड़के की अवस्था २१ वर्ष की है। मेरा विचार है कि राज्य परिषद् ने २१ वर्ष की है न कि संयुक्त प्रवर समिति ने।

श्री बिस्वास: राज्य परिषद् ने परिवतन किया है अथवा संयुक्त प्रवर समिति ने इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। परिवर्तन कर दिया गया है। इसके बारे में बहुत सी चर्चा हुई है, बहुत से परिवर्तन हुये हैं, मैं मानता हूं कि कभी कभी मैं भ्रम में पड़ जाता हूं, यदि मैं ने ऐसी कोई भूल कर दी है तो उसके लिये सदन से क्षमाप्रार्थी हूं।

श्री सी० डी० पांडे: आपने कोई भूल नहीं की है, आप तो ठीक थे। उन्होंने ठीक तरह से नहीं समझा है।

श्री बिस्वास: आपके सामने जो विधेयक है उसमें अवस्था बढ़ाकर २१ वर्ष कर दी गई है, अतः अभिभावक की आज्ञा का प्रश्न समाप्त हो जाता है। हालांकि तर्क तो दोनों ओर से किये जा सकते हैं।

प्रतिषिद्ध पीढ़ियों के बारे में परिवर्तन किया गया है। इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। खंड १५ के बारे में जो संशोधन संयक्त प्रवर समिति में प्रस्तुत किया गया था वह मैं पढ़ चुका हूं। प्रस्तावित रूप में वह मूल विधेयक में नहीं था। दूसरे सदन ने खंड १५ में इस उपबन्ध को ज्यों का त्यों रहने दिया है। दोनों ओर से काफी संशोधन आये थे किन्तु बहुमत के आधार पर इसे पारित कर दिया गया। मेरे विचार से तो सामाजिक विधानों का निर्णय दलीय सचेतक के बिना सदन के ऊपर छोड़ देना चाहिये। इसी का अनसरण मैं करता हूं। यदि इन उग्र परिवर्तनों को क्रांतिकारी समझा जाता है तो ऐसे व्यक्तियों से—सचेतक द्वारा नहीं—प्रार्थना की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति की अन्तरात्मा इसका विरोध करती है तो उसकी अन्तरात्मा के विरुद्ध जाने के लिये उस पर कोई दबाव नहीं डाला जायगा। अच्छी बात तो यह होगी कि सभी सदस्य एक दूसरे से मिलें और इस बात की चर्चा करें कि उनका क्या रवैया होना चाहिये। इस प्रकार काफी

समय बच जायगा । यदि खंडवार चर्चा की जाती है और प्रत्येक खंड में संशोधन के आधार पर परिवर्तन होता है तो इसके लिये काफी दिन चाहियें । अतः माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे सदन के बाहर कोई निर्णय कर लें ताकि प्रत्येक संशोधन के उत्तर देने से मैं बच जाऊं ।

अगला प्रश्न विवाह के शून्य घोषित हो जाने पर बच्चों की औरसता के बारे में है । किस विवाह को शून्य घोषित किया जायगा अथवा शून्य समझा जायगा । यदि ये विवाह अधिनियम में विवाह की मान्यता द्योतक जो शर्तें हैं उनका उल्लघन करने वाले हों । ये शर्तें खंड ४ में दी हुई हैं :—

(क) किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित न हो ;

(ख) कोई पक्ष मूर्ख या पागल न हो ;

(ग) दोनों पक्षों की अवस्था २१ वर्ष हो चकी हो ।

(घ) प्रतिषिद्ध सम्बन्ध की पीढ़ियों में दोनों पक्ष न आते हों ; और

(ङ) यदि विवाह ऐसे राज्य-क्षेत्र में हो जहां कि यह अधिनियम लागू न हो तो दोनों पक्ष उक्त राज्य क्षेत्र में अधिवासी भारतीय नागरिक हों ।

ये मुख्य मुख्य शर्तें हैं । यदि आप इन शर्तों के लिये आग्रह करते हैं तो इनके उल्लंघन को रोकने के लिये कोई दण्ड व्यवस्था चाहिये । ये शर्तें हम रख रहे हैं और यदि आप यह समझें कि इनका उल्लंघन करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या कोई दण्ड नहीं दिया जायगा तो यह बेकार बात है । चूंकि इन शर्तों का अनसरण कराना है । अतः कुछ ऐसे उपबन्धों की व्यवस्था करनी है ताकि इन शर्तों का अनसरण किया जा सके । किन्तु साथ ही साथ इसका यह भी परिणाम हो सकता है कि हम अमान्य या शून्य विवाहों के परिणाम स्वरूप होने वाले बच्चों को उनके माता–पिताओं के पापों का फल दें । उनका क्या दोष है ? अमान्य या शून्य आदि सम्बन्ध के परिणाम स्वरूप उनका जन्म हुआ है । अतः हमने इस खंड का निरीक्षण इस दृष्टि से किया कि किस शर्त में ढील हो सकती है । उदाहरण के लिये अवस्था वाली शर्त को ही लीजिये । मान लीजिये कि लड़के या लड़की की उम्र १८ वर्ष की है, परन्तु विवाह करने के उद्देश्य से वे अपनी अवस्था छिपा लेते हैं अथवा उन्हें अपनी अपनी अवस्थाओं का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है । घोषणापत्र में उन्हें अपनी अवस्था देनी पड़ती है, और वे अधिनियम के अनुसार अपनी आयु बता देते हैं । फिर साक्ष्य से प्रकट होता है कि उनकी अवस्था जिसकी उन्होंने घोषणा की है ठीक नहीं है । अब प्रश्न यह उठता है कि जिस समय यह आपत्ति उठाई जाती है कि विवाह के समय उनकी आयु अधिनियम में दी गई आयु के अनसार नहीं थी, किन्तु आजकल उनकी अवस्था काफी हो गई है और वे एक साथ रह रहे हैं तो क्या उनके विवाह को आप रद्द कर देंगे ? क्या इस मामले में विवाह को अवैध एवं बच्चों को वर्णसंकर घोषित करना उचित है ? यह उचित नहीं है । इंगलैंड में भी जहां आयु का प्रतिबन्ध है—हालांकि वह उम्र १५ वर्ष रखी गई है—वहां भी कोई विवाह जो आयु की शर्त का उल्लंघन करके हुआ है आपत्ति किये जाने के समय यदि दोनों पक्ष काफी उम्र के हो गये हैं तो उनका विवाह बदस्तूर बने रहने दिया जाता है ।

दूसरी बात यह है कि दोनों में से कोई मूर्ख या पागल नहीं होना चाहिये । यह निर्णय

करना कि कौन मूर्ख अथवा पागल है बड़ा कठिन है । विवाह के समय उनमें से किसी को पागल अथवा मूर्ख नहीं होना चाहिये— अनर्हता तो यह है । यह संभव है और ऐसे बहुत से मामले हुये भी है जिनमें व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया गया है किन्तु कुछ वर्षोंपरांत वह ठीक हो गया है। कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होगा । अतः यह एक ऐसी शर्त है जिसे बच्चों के हितों में आप क्षम्य बना सकते हैं ।

संयुक्त प्रवर समिति ने एक उपबन्ध में व्यवस्था की थी कि जब किसी पक्ष के पागल या मूर्ख होने के कारण अथवा विवाह के अवसर पर आयु की शर्त की पूर्ति न करने के कारण किसी विवाह को रद्द किया जाता है तो आज्ञप्ति में यह स्पष्ट होगा कि आज्ञप्ति के पूर्व प्रजनित बच्चे भविष्य में एवं सदा से अपने माता-पिता की औरस-सन्तान समझे जायेंगे ।

दूसरे सदन में एक आपत्ति उठी थी कि किसी पक्ष के पागल अथवा मूर्ख होने, अथवा आयु वाली शर्त की पूर्ति न करने के कारण जो विवाह शून्य घोषित किये जाते हैं उन्हीं मामलों में बच्चों के बारे में यह छूट क्यों है, सभी मामलों में क्यों नहीं ? राज्य परिषद् ने तो यह व्यवस्था की है कि चाहे संख्या ४ (ख) अथवा संख्या ४ (ग) के आधार पर विवाह शून्य घोषित हुआ हो इसका विचार किये बिना कि सभी मामलों में बच्चों को औरस-सन्तान घोषित करना चाहिये । दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यथास्थित पति और पत्नी के जीवित होते हुये भी कोई विवाह कर लेता है, और प्रतिषिद्ध पीढ़ियों में रहने वाले पक्षों में से भी कोई विवाह कर लेता ह तो बच्चों के हित को दृष्टिगत रख कर नियम ४ की शर्तों के होते हुये भी इन भूल चूकों को क्षमा कर देना चाहिये । ऐसे मामलों में भी हम उन्हें औरस-सन्तान घोषित करेंगे । संयुक्त समिति ने बच्चों के हित को ध्यान में रख कर यह कार्यवाही की, किन्तु फिर भी सीमा के भीतर ही यह मामला रहे । किन्तु राज्य परिषद् में कहा गया कि यह मामला अपने क्षेत्र में ही सीमित है और इसके क्षेत्र को बढ़ाना चाहिये । चाहे किसी आधार पर विवाह का शून्यीकरण हो, बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिये । अतः विधेयक जो आपके सम्मुख है उसमें खण्ड २४ इस प्रकार है...

श्री एस० एस० मोरे: अब यह खंड २६ हो गया है ।

श्री बिस्वास: खंडों की संख्या में अब परिवर्तन हो गया है, और अब इसकी संख्या क्रम २६ है । खंड २६ इस प्रकार है :—

> "जहां पर धारा २४ तथा २५ के अधीन किसी विवाह के सम्बन्ध में रद्द होने की आज्ञप्ति दी जाय, वहां पर ऐसी कोई भी सन्तान, जो आज्ञप्ति होने से पूर्व प्रजनित हुई है और जो कि विवाह वाले पक्षों की औरस सन्तान रही होती यदि वह विवाह शून्य किये जाने की आज्ञप्ति के द्वारा प्रभावहीन और शून्य किये जाने के स्थान पर समाप्त कर दिया जाता तो उस रद्द किये जाने की आज्ञप्ति के होते हुये भी औरस मानी जायेगी ।"

प्रश्न यह है कि क्या आप इस उपबन्ध को इस संशोधित रूप में रहने देंगे । इस पर विचार करना होगा ; मैं कोई सम्मति नहीं दे रहा हूं । वास्तव में यह कहा गया था कि हम माता-पिता के साथ चाहे जो करें, चाहे प्रतिषिद्ध श्रेणियों में होने के कारण उनका विवाह शून्य हो या न हो, किन्तु ऐसे मामलों में भी बच्चों को जारज नहीं घोषित करना चाहिये । हम इस बात को मानते हैं । किन्तु उत्तराधिकार का क्या

[श्री बिस्वास]

होगा ? यदि आप यह कहें कि वे औरस रहते हैं, तो उन्हें सामान्य रूप से उत्तराधिकार का अधिकार होगा । उन्हें न केवल अपने माता-पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार होगा, अपितु उनके सपिंडों की भी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार होगा । जहां तक माता और पिता का सम्बन्ध है, बच्चे उन की सन्तान होते हैं और इसलिये यदि वे जारज भी हों तो भी आप उन्हें अपने माता-पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने दे सकते हैं—चाहे यह हिन्दू विधि के विरुद्ध होगा जिस में किसी जारज पुत्र को उत्तराधिकारी बनने की आज्ञा नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : कुछ सीमा बन्धनों के अन्तर्गत ।

श्री सी० डी० पांडे : रूढ़ि के अतिरिक्त ।

श्री बिस्वास : परन्तु जहां तक सपिंडों का सम्बन्ध है, यदि कोई चाचा-ताऊ हो, तो वह यह कह सकता है कि 'मेरी सम्पत्ति उन्हें क्यों मिले ? यह केवल मेरे ही बच्चों को क्यों न मिले, यह मेरे भाई के जारज बच्चों को क्यों मिले ?' यह एक वैध आपत्ति है । जहां तक माता-पिता का सम्बन्ध है, उन्होंने बच्चे पैदा किये और उन्हें इन बच्चों के साथ साथ अन्य किसी ऐसे बच्चे का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेना चाहिये जो चाहे पहली मरी हुई पत्नी की सन्तान होने के कारण या पंजीकरण द्वारा वैध कराये गये विवाह के द्वारा उत्पन्न होने के कारण औरस-सन्तान हो । इसलिये यह सुझाव दिया गया है कि इस विषय में एक संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाये कि जहां इस प्रकार के बच्चे को औरस-सन्तान करार दिया जाये, वहां यह उपबन्ध होना चाहिये कि इस से उसे माता-पिता की सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और यह पर्याप्त संरक्षण होगा । इस विषय पर सदन को विचार करना होगा ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या समय की कोई सीमा है ? मान लीजिये कि किसी प्रतिषिद्ध श्रेणी के अन्तर्गत विवाह की आज्ञा दे दी गई, तो क्या उस विवाह को रद्द करने के लिये कोई समय की सीमा है अथवा क्या यह किसी समय भी रद्द किया जा सकता है ?

श्री बिस्वास : दो विभिन्न प्रकार के मामलों में रद्द करने की आज्ञप्ति की व्यवस्था है । पहले तो आरम्भ से शून्य विवाहों के मामले में और दूसरे शून्यकरणीय विवाहों के मामले में । विधि में एक शून्य विवाह का यह अर्थ है कि विवाह बिल्कुल हुआ ही नहीं । विवाह कोई नहीं हुआ । रखेल चाहे रखी गई हो, किन्तु विवाह नहीं हुआ । अतः इस का उस पुरानी तिथि से सम्बन्ध होता है जिस दिन कि वह कल्पित विवाह हुआ हो । स्थिति यह होगी जैसे कोई विवाह बिल्कुल हुआ ही न हो । परन्तु शून्यकरणीय विवाह तब तक मान्य रहते हैं जब तक न्यायालय कुछ आधारों पर उसे शून्य न करार दे । वह केवल रद्द करने की आज्ञप्ति की तिथि से शून्य होता है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इस की कोई अवधि है ?

श्री बिस्वास : आप मुझे अपना उत्तर समाप्त नहीं करने देंगे, और इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहेंगे । मैं अपने माननीय मित्र श्री चौधरी का उत्तर देने लगा था । यह उस की भूमिका थी । शून्य विवाह की कोई अवधि नहीं है, यह शून्य है और कभी हुआ ही नहीं । आप इसे कभी भी किसी न्यायालय के

समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । शून्य होने योग्य विवाह के सम्बन्ध में भी कोई अवधि निश्चित नहीं है, इसे केवल अधिनियम में दी हुई कुछ विशेष शर्तों के अन्तर्गत शून्य किया जा सकता है । सत्य तो यह है कि विवाह को शून्य कराने के लिये कारण तो कभी भी बाद में ढूंढे जा सकते हैं । परन्तु सम्बद्ध पक्षों का हित इसी में है कि विवाह को शून्य कराने के लिये यथा सम्भव शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

खण्ड में वही शर्तें निर्दिष्ट हैं । मान लीजिये कि किसी विवाह को इस कारण शून्य कराने की मांग की गई है, क्योंकि एक पक्ष की या जहां संरक्षक की सहमति आवश्यक है वहां उसकी सहमति प्राप्त करने के लिये धोखा या बल का प्रयोग किया गया था, तो जिस दिन धोखा किया गया या उस का पता चला उस दिन से एक वर्ष के अन्दर अभियोग चलाया जाना चाहिये । सम्बद्ध खण्डों में निहित उपबन्धों के अधीन रहते हुये उन विवाहों को शून्य कराने के लिये, जो शून्यकरणीय है और शून्य नहीं है, कोई विशेष अवधि निश्चित नहीं है ।

अन्तिम प्रश्न विवाह-विच्छेद का है । सहमति से विवाह-विच्छेद का समर्थन करने के लिये यह परिवर्तन किया गया है । उन्होंने खण्ड २७ के उपखण्ड (ट) के रूप में यह नया उपबन्ध प्रविष्ट किया है :

> "प्रार्थी से एक वर्ष या इस से अधिक तक अलग रहा हो अथवा दोनों पक्ष इकट्ठे रहने से इन्कार करें और विवाह को भंग करने के लिये परस्पर सहमत हो गये हों ;"

इस संशोधन के प्रस्तावक ने सदन के द्वारा इस संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर यह कहा था कि 'अथवा' शब्द ग़लत रखा गया है । यह इस प्रकार होना चाहिये :—

> "प्रार्थी से एक वर्ष या इस से अधिक तक अलग रहा हो और दोनों पक्ष इकट्ठे रहने से इन्कार करें और विवाह को भंग करने के लिये परस्पर समहत हो गये हों ;"

वह जो कुछ कहना चाहते थे खैर, इससे वह ठीक ठीक पता नहीं चलता । हुआ यह कि उन्होंने संशोधन की पूर्वसूचना दी । इसमें यह भूल हुई कि वे और उनके साथ और भी बहुत से खड़े हुये और कहने लगे कि यह ठीक होना चाहिये और वह ठीक होना चाहिये इत्यादि । इस गड़बड़ में न जाने क्या हुआ । जब उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया, तो सम्भवतः उस में यह भूल कर दी और खण्ड के पारित हो जाने के पश्चात् यह बात हमारे ध्यान में लाई गई ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) मैं यह जान सकता हूं कि यह कहां हुआ ?

श्री बिस्वास: राज्य परिषद् में ।

चाहे हम इस विषय में राज्य परिषद् की ही इच्छा को क्रियान्वित करना चाहते हैं, किन्तु वास्तविक इच्छा को क्रियान्वित करने के लिये इस में यह संशोधन करना आवश्यक होगा ।

श्री एस० एस० मोरे: अब हम पुनरीक्षक सदन बन जाते हैं । (अन्तर्बाधा) ।

श्री गिडवानी: गड़बड़ वाले सदन में गड़बड़ी ।

श्री बिस्वास: इस बात को देखने के लिये कि न केवल प्रस्तावक की इच्छाओं को क्रियान्वित करने के हेतु, अपितु सहमति से विवाह-विच्छेद के सारे प्रश्न विचार करने के लिये भी कि कौन-सा शाब्दिक

[श्री विस्वास]

परिवर्तन करना आवश्यक होगा इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा । यह एक क्रान्तिकारी विधान है ; यह सम्भवतः मलाबार को छोड़ कर भारत के सभी समुदायों की विवाह विधि में एक बड़ा परिवर्तन है । मलाबार में एक दूसरे की स्वीकृति से विवाह-विच्छेद का उपबन्ध है । मेरा यह निवेदन है कि चाहे आप इस उपबन्ध को मान भी लें, किन्तु फिर भी कुछ ऐसे संरक्षणों की व्यवस्था करना आवश्यक है जो सर्वत्रमान्य हों । उदाहरण के लिये, आप को बच्चों के लिये व्यवस्था करनी होगी, आप को इस बात के लिये कुछ व्यवस्था करनी होगी कि दोनों पक्षों की उन की अपनी स्वच्छन्द इच्छा से वास्तविक स्वीकृति ली जाये, किसी शक्तिशाली पति द्वारा दुर्बल पक्ष को दबा कर या प्रभावशाली पत्नी द्वारा बेचारे पति को दबा कर ली गई स्वीकृति न हो ।

श्री आर० के० चौधरी: सामान्यतया, यही होता है ।

श्री बिस्वास: न्यायालय का यह समाधान अवश्य होना चाहिये कि यह स्वीकृति सच्चे हृदय से दी गई थी । एक और बात का भी ध्यान रखना होगा । क्या आप आज विवाह और अगले दिन प्रातः विवाह-विच्छेद की आज्ञा देंगे ? विवाह की तिथि और सहमति के आधार पर विवाह को भंग करने की याचिका प्रस्तुत करने की तिथि में एक वर्ष, दो वर्ष अथवा कुछ भी समय का अन्तर अवश्य होना चाहिये । यदि ये संरक्षण नहीं होंगे, तो इससे बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । रूस में भी, जहां सहमति से विवाह-विच्छेद की आज्ञा थी ....

श्री गिडवानी: कोई संरक्षण नहीं दिये गये हैं ?

श्री बिस्वास: उन्होंने यह नियम बना दिया है कि यदि सहमति से कोई विवाह-विच्छेद करना हो, तो न्यायालय में जा कर तथ्य बता दीजिये और यह हो जायेगा । उन्होंने यह व्यवस्था की हुई है कि न्यायालय को प्रार्थनापत्र अवश्य देना पड़ेगा । उस में कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं । न्यायालय उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिन के कारण कि दोनों पक्षों ने इस प्रकार का निश्चय किया और क्या उनका विवाह-विच्छेद की मांग करना उचित था । सारा मामला न्यायालय पर छोड़ दिया गया है, जो इस बात का पता लगायेगा कि क्या कोई उचित कारण थे और यदि उसे सन्तोष हो जाये तो वह विवाह-विच्छेद की स्वीकृति देने से पूर्व बच्चों के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर देगा । यदि आप को इस विषय में जनवादी चीन के गणतंत्र की विधि में रुचि हो...

श्री आर० के चौधरी : साम्यवादी चीन ?

श्री बिस्वास : माननीय सदस्य कुछ भी कह सकते हैं । इसमें लिखा है :

> "जब पति और पत्नी दोनों चाहें तब विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जायेगी । पति या पत्नी में से यदि केवल एक विवाह-विच्छेद का आग्रह करे, तो इस की अनुमति केवल तभी दी जायेगी जब ज़िला जनवादी सरकार और न्यायिक निकाय समझौता कराने में असफल रहे ।"

१२ बजे मध्याह्न

वहां भी किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा समझौता कराने की व्यवस्था है जिस का दोनों पक्षों से कोई सीधा सम्बन्ध न हो । आप चाहे हिन्दू विधि के अनुसार विवाह को पवित्र न कहें, किन्तु वैवाहिक सम्बन्ध को कुछ पवित्र अवश्य मानना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : वस्तुतः ।

श्री बिस्वास : अतः जब दो पक्ष अपनी इच्छा से इकट्ठे हुये हों, तो उन्हें अलग होने की अनुमति देने से पूर्व जब तक सम्भव हो तब तक मिलाये रखने का प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : कितनी महानता है !

श्री बिस्वास : इस विषय का सम्बन्ध केवल उन पक्षों से नहीं है यद्यपि उन का इस में विशेष हित है, किन्तु इस का उन की सन्तान से भी सम्बन्ध है और समाज से भी एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, किन्तु एक बुरा उदाहरण सारे समाज को दूषित कर सकता है । अतः जब दोनों पक्ष यह कहें कि वे एक दूसरे की सहमति से विवाह-विच्छेद करने को तैयार हैं तब भी हमें बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिये । मध्यस्थों या उत्तरदायी लोगों को मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । आखिर जीवन तो सभी विषयों में समायोजनों की एक लड़ी मात्र है । मैं इस उद्धरण को पूरा पढ़ देता हूं :

> "जिन मामलों में पति और पत्नी दोनों विवाह-विच्छेद करना चाहते हों उनमें दोनों पक्ष विवाह-विच्छेद के प्रमाणीपत्र प्राप्त करने के लिये ज़िला जनवादी सरकार के पास पंजीकरण करवायेंगे । ज़िला जनवादी सरकार यह सिद्ध करने के पश्चात् कि दोनों पक्ष विवाह-विच्छेद करना चाहते हैं और कि बच्चों और सम्पत्ति की देख-भाल के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर ली गई है, अविलम्ब विवाह-विच्छेद के प्रमाणपत्र दे देगी ।"

जब केवल एक पक्ष विवाह-विच्छेद के लिये आग्रह करे तो ज़िला जनवादी सरकार समझौता कराने का प्रयत्न कर सकती है । यदि इस प्रकार की मध्यस्थता असफल रहे, तो वह अविलम्ब उस मामले को काउन्टी या नगर जनवादी न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेज देगी । ज़िला जनवादी सरकार दोनों म से किसी पक्ष को काउन्टी या नगर जनवादी सरकार से अपील करने से रोकने का प्रयत्न नहीं करेगी । विवाह-विच्छेद के मामले को निबटाते समय काउन्टी या नगर जनवादी न्यायालय को पहले दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि इस प्रकार की मध्यस्थता असफल रहे तो न्यायालय अविलम्ब कोई निर्णय दे देगा । वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है जो कहीं अन्यत्र नहीं मिलता ।

> "ऐसे मामले में जहां, विवाह-विच्छेद के पश्चात्, पति तथा पत्नी दोनों दाम्पत्य सम्बन्धों को पुनः स्थापित करना चाहें, वे ज़िला जन सरकार को पुनर्विवाह के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र दे देंगे । ज़िला जन सरकार ऐसा पंजीयन स्वीकार करेगी तथा पुनर्विवाह का प्रमाणपत्र जारी कर देगी ।"

अब मैं आपके समक्ष सोवियत व्यवहार विधि का उपबन्ध पेश करता हूं :

> "८ जुलाई १९४४ से पूर्व दम्पत्ति में से कोई भी एक बिना कारण बताये विवाह सम्बन्ध समाप्त कर सकता था तथा व्यवहार पंजीयन कार्यालय विवाह-विच्छेद को अभिलिखित कर लेता था । कोई कारण बताना या न्यायिक कार्यवाही अपेक्षित न थी । यदि पंजीयन न भी होता तो भी न्यायालय साक्ष्य को मानते

[श्री विस्वास]

थे और उस पर आचरण करते थे।"

"परन्तु ८ जुलाई, १९४४ के पश्चात् विवाह-विच्छेद केवल न्यायालय ही मंजूर करते हैं और उन्हीं कारणों से कहते हैं जिन्हें वे न्यायोचित समझें।" (यह अत्यन्त महत्वपूण परिवर्तन है।) "वे कारण विधि द्वारा विहित नहीं है और न्यायालयों के स्वविवेक पर छोड़ दिये गये है।"

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दुर्भाग्य से यह ज्ञात नहीं है कि किन आधारों पर विवाह-विच्छेद मंजूर किया जाता है, अथवा कितने मामलों में न्यायालय ने विवाह-विच्छेद मंजूर करने से इन्कार किया है। इस विषय में केवल अपूर्ण जानकारी प्राप्त है। इस विषय में मैं कुछ निष्कर्ष पढ़ कर सुनाता हूं:

"४०० मामलों का विनिश्चय १८ न्यायालयों ने किया था, परन्तु इतने से मामलों से कोई व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उनमें से दो तिहाई दावे पारस्परिक सहमति के थे और उन सब में विवाह-विच्छेद मंजूर हो गया। कुल मामलों में से ६ प्रतिशत में मंजरी नहीं दी गई परन्तु जिन मामलों में विरोध किया गया, उन्हीं को लिया जाये तो २३ प्रतिशत में मंजूरी नहीं मिली। प्रतिवादी का अपराध न होना विवाह-विच्छेद की मंजूरी न देने का कारण बताया गया। इन सभी मामलों में वादियों के बच्चे थे।" (आशय यह है कि यदि वादियों के बच्चे हों तो उन्हें विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं मिलेगी।) "परन्तु, लेखक यह कहने के लिये तैयार नहीं है कि बच्चों के अस्तित्व का किस हद तक इन विनिश्चयों पर प्रभाव पड़ा। विरोध किये गये मामलों में, निम्न कारणों से विच्छेद मंजूर किये . . . प्रतिवादी दोषी हो विशेषतः यदि उसने व्यभिचार किया हो या प्रति दिन के जीवन में उसका व्यवहार ऐसा सिद्ध हुआ हो कि जीवन सर्वथा असम्भव हो जाये; पारस्परिक दोषों के कारण जीवन सर्वथा असम्भव हो गया हो; ऐसे कारणों से जिनमें किसी पक्ष का दोष नहीं है, साथ जीवन बिताना असम्भव हो गया हो; यथा लम्बे समय तक अनुपस्थिति या चिरस्थायी होगा।"

वहां यह स्थिति है।

श्री आर० के० चौधरी: क्या भारत के समान उन देशों में भी व्यभिचार अपराध है।

श्री बिस्वास: मुझे सोवियत संघ की आपराधिक विधि का कुछ नहीं पता है। मैं तो विवाह तथा विवाह-विच्छेद के विषय में बता रहा हूं। अब मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड—सोरठ): यह विधेयक एक विवादास्पद विधेयक है, क्योंकि इस का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, स्त्री हो या पुरुष। विवाह और विवाह-विच्छेद ऐसे विषय हैं जिनकी बुद्धि या युक्ति से बहुत कम सम्बन्ध है?

इसलिये मुझे आश्चर्य न होगा यदि प्रत्येक सदस्य इन के बारे में भिन्न भिन्न और ज़ोरदार विचार प्रकट करें ।

यह विधेयक इसलिये भी बहुत महत्व-पूर्ण है कि प्रत्येक विवाह-विधि के द्वारा स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों को विनियमित करने की चेष्टा की जाती है । विवाह का सम्बन्ध सब से गहरा सम्बन्ध होता है, इसलिये जो विधि इस सम्बन्ध को विनियमित करती है, वह अवश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है । पुरुष के जीवन के बहुत से पहलुओं का विवाह पर प्रभाव पड़ता है : धर्म, नैतिकता, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विकास, समाज की आर्थिक व्यवस्था, उत्तराधिकार आदि इन सब चीज़ों से विवाह के रूप की शर्तें बनती हैं । विवाह विधि बनाते समय समाज को इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इस विधि को बदलती हुई स्थितियों के अनुसार बदलना अनिवार्य है । कुछ परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद की आज्ञा दी जा सकती है, किन्तु प्रत्येक विवाह विधि का उद्देश्य यह होना चाहिये कि विवाह को अस्थिर नहीं बल्कि स्थायी बनाया जाये । समाज की ओर बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, विवाह-विधि का उद्देश्य पति और पत्नी दोनों की यथासम्भव अधिक से अधिक सुख प्राप्त कराना है । हिन्दू विधि इस सम्बन्ध में अत्यधिक यथार्थवादी और प्रगतिशील रही है । इस में सब प्रकार के विवाहों की आज्ञा है । यह समय के अनुसार बदलती रही है किन्तु १८५७ के बाद से, जब कि अंग्रेज़ों ने यह घोषणा की थी कि वे हिन्दुओं की विवाह विधियों और धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसमें स्थिरता आ गई है ।

अब इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि हिन्दुओं की या भारत की सब जातियों की वर्तमान विधियां आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं या नहीं मेरे विचार में अब सारे देश के लिये विवाह की एक समान पद्धति बनाने का समय आ गया है । यह विधेयक इस दिशा में पहला पग है । मैं इस का स्वागत करता हूं । मैं जानता हूं कि इस प्रसार की एक रूप पद्धति बनाना कोई आसान काम नहीं है । इसी लिये वर्तमान विधेयक को केवल एक अनुमतिक विधान का रूप दिया गया है, किन्तु लोगों को प्रेरित किया जायेगा कि वे इस से अधिकाधिक लाभ उठायें, ताकि विवाह तथा विवाह-विच्छेद प्रणाली क एक रूप बनाया जा सके ।

हमारे सामने दो विधेयक हैं—हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक और यह विशेष विवाह विधेयक । इन का आपस में इतना सम्बन्ध है कि मैं विधि मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि सम्भव हो तो इन पर एक साथ विचार किया जाये । हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक देश के अधिकांश लोगों पर लागू होता है । विशेष विवाह विधेयक में जो कि सब पर लागू होने के लिये एक रूप बनाया गया है, हिन्दू विवाह विधि, मुस्लिम विवाह विधि को ध्यान में रखना चाहिये उदाहरणतया विवाह-विच्छेद की विधि को लीजिये विवाह विधि तो भिन्न भिन्न किस्में या विशेष रूढ़ियां हो सकती हैं, किन्तु जहां तक विवाह-विच्छेद का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इस की विधि एक सी होनी चाहिये, ताकि यह सब जातियों पर लागू हो सकें हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक में दिये गये और विशेष विवाह विधेयक में दिये गये विवाह-विच्छेद के कारणों में अन्तर है । मेरे विचार में विवाह-विच्छेद, निर्वाह व्यय, न्यायिक पृथक्करण आदि के सम्बन्ध में एक ही विधि होनी चाहिये, जो सब पर लागू हो ।

[श्री सी० सी० शाह]

इस विशेष विवाह विधेयक के विशेष उपबन्ध क्या हैं ? सब से पहला यह है कि इस में विवाह के लिये धर्म को कोई प्रतिबन्ध नहीं माना गया है यह इस विधेयक का एक मूलभूत सिद्धान्त है और हमें इस बात का निर्णय करना है कि हमें यह स्वीकार है या नहीं ।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि प्रतिषिद्ध पीढ़ियों को छोड़ कर कोई भी जाति या गोत्र या सपिंड सम्बन्ध विवाह के लिये प्रतिबन्ध नहीं होगा । इस का उद्देश्य अदालती विवाह है । यह प्रतिषिद्ध पीढ़ियों को एक रूप पद्धति भी निर्धारित करता है । इसे पढ़ने पर कुछ लोगों को धक्का सा लगेगा, क्योंकि इस में कुछ ऐसे विवाहों की अनुमति दी गई है जोकि देश के कुछ भागों में अगम्या-गमन समझे जाते हैं । विवाह की प्रतिषिद्ध पीढ़ियों की एक रूप पद्धति तो अवश्य होनी चाहिये, किन्तु इस से रूढ़िगत विधि का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये ।

अगला प्रश्न आयु का है । यहां २१ वर्ष की आयु रखी गई है । यदि इस से कुछ लोगों को धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचती है, तो यह लड़कियों के लिये १८ वर्ष और लड़कों के लिये २१ निर्धारित की जा सकती है ।

आपत्तियों के विषय में मैं श्री टेकचन्द से सहमत हूं कि आपत्तियों पर न्यायालय को नहीं बल्कि विवाह पदाधिकारियों को विचार करना चाहिये ।

अब मैं विधेयक के अध्याय ३ को लेता हूं । इस का उद्देश्य क्या है ? इस में उन विवाहों के पंजीकरण की, जो कि पहले हो चुके हैं, अनुमति दी गई है । इस के अन्तर्गत उन विवाहों का पंजीकरण भी हो सकता है, जो कि वैध हों, जो कि वैध न हों और जिन की वैधता में सन्देह हो, किन्तु, शर्त यह है कि विवाह की कोई रस्म पूरी की गई हो । पहले मैं वैध विवाहों के मामले को लेता हूं । मैं पूछता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो एक पहले से ही वैध विवाह का पंजीकरण कराने के लिये इस अनुमतिक विधान से लाभ उठायेंगे, क्योंकि जहां तक विवाह और विवाह-विच्छेद का सम्बन्ध है, बहुसंख्यक जाति पर तो हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक लागू होगा ।

श्री सी० डी० पांडे: यह अन्तर्धार्मिक विवाहों को, जिन में कि दोनों पक्षों ने विवाह के समय अपने अपने धर्मों को छोड़ना पसन्द न किया था किन्तु फिर भी विवाह कर लिया था, वैध करने के लिये है ।

श्री सी० सी० शाह: मैं पहले वैध विवाहों के बारे में कह रहा था । इस में दोनों आ जाते हैं । अवैध विवाहों के सम्बन्ध में हम हिन्दू विवाह (वैधकरण) अधिनियम, पहले ही पारित कर चुके हैं । मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की विधि बनाना कि आप किसी भी अवैध विवाह को कर के किसी भी समय उसे वैध करा सकते हैं, मेरी राय में बहुत ढील देना होगा ।

आप इसे प्रगतिवादी समझ सकते हैं किन्तु इस पर सम्मतियों में विभिन्नता हो सकती है । यदि आप एक पत्नीत्व के तथा विवाह-विच्छेद के पक्ष में हैं और यह चाहते हैं कि हिन्दू विधि में स्त्री तथा पुत्री उत्तराधिकारी हो सकती है, तो इसमें प्रगतिवादिता की कोई बात नहीं है ।

आप यथासम्भव प्रगतिवादी विधान बनाना चाहते हैं, चाहे प्रगतिवाद से आपका तात्पर्य कुछ भी हो ? आप इस उपबन्ध को रख सकते हैं, यद्यपि खण्ड ४ के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, फिर भी

वह उस विवाह को कर सकता है और खण्ड १५ के अन्तर्गत उसको पजीकृत किया जा सकता है। ऐसा विधि के साथ धोका करने के समान होगा।

श्री बिस्वास: पंजीकृत किया जाने वाला विवाह इस अधिनियम अथवा १८७२ के अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होना चाहिये। उस खण्ड म दिया हुआ है कि विशेष विवाह अधिनियम, १८७२ (१८७२ के ३) अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत हुये विवाह के अतिरिक्त, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व तथा पश्चात हुआ कोई भी विवाह, पंजीकृत किया जा सकता है।

श्री सी० सी० शाह : निजी विधि के अन्तर्गत भी।

खण्ड १८ और भी विवादास्पद है। इसको केवल दो कारणों से चलते रहने दिया जा सकता है। खण्ड १८ का सम्पूर्ण अध्याय ३ दो बातों की व्यवस्था करता है जो बिल्कुल अलग अलग है यथा सन्देहजनक विवाह को प्रमाणित मानना तथा प्रमाणित विवाह का पंजीकरण करना। ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं जिनसे बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न होती है।

अब चतुर्थ अध्याय को लीजिये जिसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के परिणाम का उल्लेख किया गया है। संयुक्त परिवार से आवश्यक रूप से सम्बन्ध विच्छेद करने के सम्बन्ध में स्त्री सदस्यों ने बड़ी कड़ी विमति टिप्पणियां लिखी हैं। मुझे बताया गया है कि धारा १९ स्त्रियों के लाभ के लिये बनाई गई है, और यदि स्त्री सदस्य स्वयं ही इसे नहीं चाहती है तो सरकार को इस पर विचार करना होगा कि इसे चलाया जाय अथवा नहीं।

मैं समझता हूं कि अब वह अवस्था आ गई है जब कि हमें आवश्यक रूप से वैवाहिक अधिकारों की मांग को समाप्त कर देना चाहिये। इसे आवश्यक बना देने से कोई लाभ नहीं है।

अब यह कहना कि विवाह-विच्छेद नहीं होना चाहिये, इसके लिये बहुत विलम्ब हो चुका है। विवाह-विच्छेद एक आवश्यक बुराई है। विधि चाहे इसे कुछ सरल ही रखे किन्तु जनता की सम्मत्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिय कि जिससे कोई भी व्यक्ति इससे सरलता से लाभ न उठा सके। यह विधवा विवाह की भांति चलना चाहिये। इंगलैंड तथा अन्य पाश्चात्य देशों के न्यायालयों आदि सभी विवाह-विच्छेद के मामलों में यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यह मिथ्या शपथ है किन्तु इसको टोका नहीं जा सकता। हम इसका उपचार यह समझते हैं कि यदि हमारे यहां यह विधि बन जाती है तो हमें असम्भव अथवा अत्यावहारिक स्थितियां नहीं लादनी चाहिये। किन्हीं ऐसे दो व्यक्तियों को, जो एक दूसरे को अत्यधिक नापसन्द करते हों, विवाह-सूत्र में बांध देना उचित नहीं। अतः विवाह-विच्छेद के लिये अनुमति देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इससे विवाह का अस्थायित्व न बढ़ने पाये। हमारे व्यक्तिगत विचार चाहे कुछ भी हों किन्तु प्रत्येक समाज में विवाह-विच्छेद विधि एक सिरे से दूसरे सिरे तक लागू रहा है।

जहां तक परस्पर सम्मति से विवाह-विच्छेद का सम्बन्ध है, अनेक कारणोंवश मैं समझता हूं कि यह बड़ी जल्दबाज़ी का काम होगा। मैं इस सिद्धान्त पर आपत्ति नहीं करता। सिद्धान्ततः विवाह-विच्छेद विधि को दोनों पक्षों में से किसी एक के चाहने पर भी इसके लिये अनुमति अवश्य दे दी जानी चाहिय, किन्तु यह पूर्णतया बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। अतः किसी भी प्रकार विवाह-विच्छेद को असम्भव अथवा अव्यावहारिक नहीं बनाया जाना चाहिये।

डा० रामा राव (काकीनाडा) : इस विधेयक में दोषों के रहते हुये भी मैं इस का समर्थन करता हूं। जसा कि हमारे मित्रों ने बताया है कि इस विधि के अनसार किसी को अपना धर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अब तो किसी धर्म अथवा जाति का व्यक्ति किसी के भी साथ विवाह कर सकता है। एक पत्नीत्व की भारत में कम से कम अत्यधिक आवश्यकता है, भले ही कुछ लोग मेरे इस कथन से सहमत न हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका विचार है कि स्वस्थ तथा धनवान लोगों को पुनः विवाह करने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिये। इतना होते हुये भी सामान्य सम्मति यह है कि एक पत्नीत्ववाद विधि के द्वारा लागू किया जाना चाहिये मेरे विचार से युवक तथा यवतियों को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने चाहिये। बहुत से दकियानूसी विचारों वाले लोग इससे सहमत नहीं होंगे। हिन्दू विधि अनेक अवस्थाओं में से होकर निकली है अतः इसके अनेक प्रकार के उपबन्ध हैं। कुछ परस्पर विरोधी हैं, तो कुछ बड़े उच्च भी हैं, तो कुछ ग़लत भी।

(श्रीमती खोंगमेन पीठासीन हुईं)

धर्म पर इन प्रगतिवादी विचारों तथा विधान के कारण संकट नहीं है। अनेक लोगों ने केवल विवाह के लिये ही धर्मपरिवर्तन किया था। "धर्म संकट में है" की पुकार गैलीलियो के समय तथा भारत में सती प्रथा को बन्द कराने के समय भी मचाई गई थी। इसी प्रकार शारदा ऐक्ट के पारित होने पर भी 'धर्म संकट में है' का नारा बुलन्द किया गया था।

हिन्दू समाज के लिये अस्पृश्यता से बढ़ कर अन्य दूसरा कलंक नहीं है। इन अछूतों को मन्दिरों में प्रवेश करने की अनुमति मिलनी चाहिये। इस पर पुरातन पन्थी लोग फिर चिल्ला उठेंगे कि धर्म संकट में है। धर्म केवल उन्हीं के कार्यों से संकट में है और किसी कारणवश नहीं। अतः धर्म संकट में नहीं है।

श्री बिस्वास तथा श्री नायर ने कहा है कि अपने प्राचीन ग्रन्थों की आलोचना करना देशभक्ति के विपरीत है। हमारे प्राचीन शास्त्र और दर्शन हमें निदेश देते हैं, इन शास्त्रों में जहां बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहां कुछ भयंकर चीज़ें भी हैं। हम भली भांति जानते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में इनकी टक्कर के ग्रन्थ नहीं मिलते हैं और हम अन्य समाजों की भांति ही उच्च भी हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम विकृत रीति-रिवाज़ों का पालन करें। अच्छे रीति-रिवाज़ ही अब खराब हो गये हैं। क्या इनकी आलोचना करना ग़लती है? मैं किसी भी संस्था से उपदेश ग्रहण करने को तत्पर हूं किन्तु मैं नहीं चाहता कि देश के विकृत रीति-रिवाजों में विश्वास किया जाय, उन्हें दृढ़ बनाया जाय, उनका समर्थन एवं प्रशंसा की जाय। इसका नाम देशभक्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह विकृत हैं अथवा ग़लत?

डा० रामा राव: आप इसे ग़लत कह सकते हैं। केवल किसी शास्त्र के कथन पर ही अस्पृश्यता का पालन किया जाय, यह उचित नहीं। और शास्त्रों में भी बहुत सी चीज़ें परस्पर विरोधी हैं तथा अधिकतर बाद में बढ़ाये गये वाक्य मिलते हैं। मनु ने कहा है कि यदि कोई अब्राह्मण वेद सुन लेता है, तो उसके कानों में आपको पिघला हुआ सीसा डालना चाहिये। भले ही यह मनु ने न कहा हो किन्तु यह सत्य है कि बाद में बहुत सी चीज़ें इन में घुसेड़ी गई हैं। मैं

यह कभी भी मानने को तैयार नहीं कि कोई चीज़ प्राचीन है इसलिये इसका पालन किया जाना चाहिये ।

मैं अब विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । खण्ड २७ के उप-खण्ड (ट) के सम्बन्ध में विधि मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि 'अथवा' शब्द में कुछ गड़बड़ी है । प्रस्तावक का विचार 'तथा' रखने का था । हमने 'अथवा' के स्थान पर 'तथा' आदिष्ट करने के लिये संशोधन रखा था । इस पर आप लोग विचार कर अपनी सम्मति दें । एक पति-पत्नी जिनका विवाह एक-दो वर्ष पूर्व हुआ था । वे कुछ समय तक एक साथ रह चके हैं । आपस में कुछ झगड़ा हो जाने अथवा अन्य किसी प्रकार से असन्तुष्ट रहने के कारण अपनी-अपनी सम्मति से विवाह-विच्छेद करने के लिये न्यायालय की शरण लेते हैं इस कारण कि अब उनके लिये एक साथ रहना सम्भव नहीं क्योंकि उनका जीवन दुखमय बन गया है । अतः सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये उन्हें यह अवसर मिल जाता है । अब वे किसी भी दशा में अलग-अलग ही रहना पसन्द करेंगे । मैं पूछता हूं कि उनको न्यायालय के सामने अपनी सारी कहानी दुहराने के लिये क्यों विवश किया जाय । उनको इस बात के लिये क्यों विवश किया जाय कि वे व्यभिचार तथा क्रूरता के प्रमाण या डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । यदि आप ध्यान से विचार करेंगे तो आपको यह समझना सरल होगा कि परस्पर सम्मति के द्वारा विवाह-विच्छेद न तो ऐसा क्रान्तिकारी ही है और न आपत्ति-जनक ही ।

२१ वर्ष की पाबन्दी के सम्बन्ध में हमारे मित्रों ने बड़ी उत्साहपूर्ण चर्चा की है । इस पाबन्दी का अर्थ यह होगा कि २० वर्ष की आयु वाली एक लड़की शिक्षित होते हुये भी अपने मनचाहे पुरुष से विवाह करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है । मैं यह नहीं कहता हूं कि १८ वर्ष की प्रत्येक लड़की विवाह कर ही ले फिर भी उनको विवाह करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । लड़कियों के विवाह की समस्या दिनों दिन गम्भीर होती जा रही है । बहुत सम्भव है कि एक वर्ष पूर्व उसे जिस पुरुष के साथ विवाह करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था वह एक वर्ष बाद जाता रहे । अतः यह २१ वर्ष की पाबन्दी सर्वथा निरर्थक है क्योंकि १८ वर्ष की आय प्राप्त करने के पश्चात, प्रत्येक लड़की वयस्क हो जाती है ।

लड़कों की आयु के सम्बन्ध में मैं ने स्वयं एक संशोधन रखा है कि यदि उसकी आयु २१ वर्ष से कम हो तो उसके अभिभावक की अनुमति आवश्यक है ।

हिन्दू विधि के अनुसार, विशेषकर दक्षिण में चचेरे तथा ममेरे फुफेरे भाई-बहनों में आपस में विवाह होते हैं फिर आप इस विधान के अन्तर्गत उनको विवाह करने की आज्ञा क्यों नहीं देते ? मेरा विचार है कि इस प्रकार के विवाह अधिक सादे, कम खर्च वाले तथा बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं । अतः अधिकांश हिन्दू परिवार बचत को ध्यान में रख कर ऐसे विवाहों का स्वागत करेंगे । मध्यम वर्ग के लोग अपने परिवार की मर्यादा के अनुसार विवाह के लिये तमाम ऋण तक लेते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे बीस-पच्चीस वर्ष तक ऋण से मुक्त नहीं हो पाते । ऐसी प्रथा चलाई जानी चाहिये कि जिससे हम अपने मामा की लड़की तक से विवाह कर सकें जैसा कि दक्षिण में हो रहा है ।

सुजनन विद्या की बात की जाती है । यह विद्या किस प्रकार की होती है ? यह विद्या जब एक ढकोसला सा बन जाती है

[डा० रामा राव]

तो संकटपूर्ण बन जाती है। इस ने हमें क्या सिखाया है ? केवल यही कि कुछ एक गुण दोष हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं।

डाक्टरी सर्टीफिकेट के बारे में भी कहा गया है, यद्यपि विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास अपने विवाह के सम्बन्ध में सर्टीफिकेट लेने आये तो मैं तो उसे केवल यही कह दूंगा कि यदि उसके अन्दर विवाह के लिये उमंग है तो वह अवश्य विवाह कर सकता है, अन्यथा नहीं।

गुप्त रोगों की बात भी व्यर्थ सी है। यह एक अनुमतिक विधान है अतः मेरे सनातन धर्मी मित्रों को इस से भयभीत नहीं होना चाहिये। इस से समाज प्रगति करेगा।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर उत्तर) : सभानेत्री महोदया, इस विधेयक में जहां तक एक पत्नीत्व का प्रश्न है उस का तो मैं स्वागत करती हूं, परन्तु इस बात के विरुद्ध अवश्य हूं कि विवाह जैसे पवित्र बन्धन को केवल एक आपस में के अस्थाई समझौते अथवा ठेकेदारी का रूप दिया जाय।

मुझे यह भी शंका है कि असवर्ण तथा विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच विवाह होने से हमारी धार्मिक पुरातन संस्कृति की रक्षा, तथा हमारी उन्नति कहां तक होगी। आज हम गाय बैल इत्यादि की जाति तथा गुण का विशेष ध्यान रखने लगे हैं जब कि यही बात हम पर भी लागू है।

यह विधेयक हिन्दू ला, इस्लामिक, जूइश और पारसी धर्म तथा इन समुदायों के वैवाहिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है, विभिन्न जातियों पर, जिनके अपने व्यक्तिगत नियम हैं, समान विधान स्थापित कर के, इस को उन पर लागू करना सुलभ नहीं है।

समाज के कल्याण व शान्ति के लिये अति ही आवश्यक विवाह जैसे दृढ़ बन्धन की उपेक्षा करने वाला यह विधेयक, मेरे विचार से, हमें सहायता नहीं पहुंचा पायेगा। सम्भव है, कुछ विवाह-विच्छेद के इच्छुक पति और पत्नियों को पृथक् कर के उन के कष्टों को कुछ काल के लिये यह विधेयक कम कर सके, परन्तु अन्त में स्त्रियों और विशेषकर बच्चों के लिये यह अहितकर ही होगा। इस विधान से विवाह विच्छेद ही बढ़ेंगे जो किसी भी देश के लिये सम्मान की वस्तु नहीं है। इस का प्रभाव पारिवारिक शान्ति पर पड़ेगा, भावी सन्तानों का गृहस्थ जीवन छिन्न भिन्न हो कर उन के धार्मिक संस्कारों को दृढ़ होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। माता पिता के अस्थायी सम्बन्धों को देख कर, उन बच्चों के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारे देश के ये भविष्य कर्णाधार कितने बलशाली होंगे, यह अनुमान आप लोग स्वयं लगालें। यह अनाथालय के बालकों से कम न होंगे।

यह भी सर्वविदित बात है कि हिन्दू कोड बिल को अधिकांश लोगों ने नहीं अपनाया। उसी को अब अन्य रूप में फिर समाज के सामने ला कर रक्खा जा रहा है। इस से न समाज का हित ही हो सकता है, न यह उसे मान्य ही हो सकता है।

इस विधेयक से उन युवक युवतियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिन की बुद्धि कार्य के परिणाम का विचार करने के लिये परिपक्व नहीं हुई है, जिस से शान्तिमय पारिवारिक सुखी जीवन के स्थान में इन युवतियों का जवानी भर दर दर भटक कर, बुढ़ापे का कोई सहारा ही नहीं रह जायेगा और पवित्र विवाह बन्धन ढीला हो कर सामाजिक

पतन हो जायेगा, पाश्चात्य देशों का हाल मैं देख चुकी हूं।

इस विधेयक को मुख्यतया हम स्त्रियां अपने कष्ट निवारण का एक मात्र साधन समझ रही हैं, परन्तु यह हमारी भूल है। मुझे शंका है कि इस विधान से कहां तक हमारे कष्ट दूर होंगे। इन कष्टों का आरम्भ हमारे विदेशी आचरणों से प्रभावित होने के कारण हुआ, जिस से हमारे जीवन के शान्त और सरल वातावरण में असन्तोष की एक लहर दौड़ गई, और अब स्वतन्त्र होने के बाद भी हमारे देश में पाश्चात्य शिष्टाचार घटने के बदले बढ़ ही रहा है और हम सब यह भूल ही से गये हैं कि हमारे नियम भी किसी उच्च आदर्श की नींव पर खड़े थे, जिन से केवल शारीरिक सुख न मिल कर मानसिक बल और शान्ति भी मिलती थी। इस विधेयक के समर्थकों की आशा निराशा में परिणत हो जायेगी जब वे देखेंगे कि कास्टलेस व क्लासलेस समाज ऐसे निराधार यत्नों से स्थापित नहीं किये जा सकते। सेकुलरिज्म और डिमाक्रेसी समाज पर बल पूर्वक थोपी नहीं जा सकती। हमारा वर्णाश्रम धर्म विभिन्न वर्णों में कार्य के उचित विभाजन के लिये है। हम अपने पूर्वजों के अनुभव व बुद्धिमानी से परखे हुये परम्पराप्राप्त नियमों में वर्तमान आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन भले ही करें परन्तु उन्हें सहज में ही त्याग देने से हम न सुखी होंगे, न अपने लक्ष्य पर ही पहुंच सकेंगे। हमारी पुरातन संस्कृति समूल नष्ट हो जायेगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक विषयों पर हमें सोच कर ही चलना चाहिये। यह विधेयक तो मनुष्य की धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार ही छीने ले रहा है।

हमारी अधिकतर जनता में पुनर्विवाह व विवाह-विच्छेद है ही, उच्च व मध्य वर्ग की आवश्यकतानुसार वर्तमान विधान में ही जिस में सब बातों के लिये विस्तार है, कुछ संशोधन किये जाने ही पर्याप्त होते।

स्त्रियों के कष्टों को कम करने के लिये विवाह-विच्छेद के अतिरिक्त और साधन भी हो सकते हैं जो मैं ने अपने मतभेद की व्याख्या में, सुझाव के रूप में दिये हैं।

यदि आज हममें से कई दुखी हैं, तो इसका कारण केवल हमारी अपना कर्तव्य भूल जाने के कारण, मानसिक निर्बलता ही है। जो लोग अज्ञानवश हमें पुरुषों की दासी कहते हैं, वे यदि ज़रा विचार से काम लें तो देखेंगे कि, पुरुष कैसा ही हो, स्नेह व सेवा बल से सौम्य हो कर हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है। हमारे अधिकार पुरुषों से कदापि कम नहीं हैं। मेरे विचार में तो अधिक ही हैं।

भारत की स्त्रियों के आत्मबल के कारण, आज भी इस देश का सिर सगर्व ऊंचा है। हमें उसी आत्मबल को जगाना होगा, परन्तु यह तभी होगा, जब हम दया, क्षमा, सेवा, त्याग, सहनशक्ति इत्यादि, अपने स्वाभाविक गुणों को, जिनसे पुरुष तो क्या विश्व भी जीता जा सकता है, न बिसारेंगी। अपने घर की सुव्यवस्था हमारे लिये एक साधारण वस्तु है। देश के वीरों की मातायें होने के नाते, साम्राज्यों का निर्माण व संहार भी हमारे ही हाथ में है। जब हम ही अपना कर्तव्य भूल जायेंगी, तो हमारी संतानें तो केवल अपना बल, उद्जन अस्त्र जैसी वस्तुओं को ही सार समझ कर, विश्व संहार में ही लगा देंगी। इसलिये हमें याद रखना है कि हमें अपनी मर्यादा का पालन समुद्र की तरह करना होगा, नहीं तो और भी अधिक कष्ट की भागी हम ही होंगी।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : मैं उस प्रवर समिति का एक सदस्य था जिसने कई दिन तक इस विधेयक पर विचार किया, किन्तु जिस रूप में अब यह राज्य परिषद् से पारित

[श्री एम० सोमना]

होकर आया है इस में कुछ एक उपबन्ध इस प्रकार के देखने में आ रहे हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

सर्वप्रथम, राज्य परिषद् ने आयु को १८ वर्ष से बढ़ा कर २१ वर्ष कर दिया है । हम ने यह उपबन्ध भी रखा था कि १८ और २१ वर्ष की आयु के बीच संरक्षक की अनुमति होनी चाहिये ।

खण्ड २५ में जो यह उपबन्ध रखा गया था कि यदि विवाह के पश्चात् एक पक्ष को यह पता चलता है कि दूसरे पक्ष को ऐसा गुप्त रोग है जो पहले पक्ष को भी लग सकता है तो पहले पक्ष को यह अधिकार है कि विवाह-विच्छेद करवा सके । किन्तु राज्य परिषद् ने इस उपबन्ध को निकाल दिया है ।

एक और विषय जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं खंड २६ है । इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नपुंसक हो और विवाह न्यायालय द्वारा शून्य घोषित हो जाय तो ऐसे विवाह से उत्पन्न हुआ बच्चा वैध समझा जायगा । यह बड़ी विचित्र सी बात जान पड़ती है । इसी प्रकार उन्होंने खंड २४ के उपखंड (२) को भी बदल दिया है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई

GIPD—HS—189 PSD—25-11-54—285